

भा.कृ.अनु.प.–केन्द्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान

ICAR-Central Institute for Subtropical Horticulture रहमानखेड़ा, पो. काकोरी, लखनऊ—226101 (भारत)

Rehmankhera, P.O. Kakori, Lucknow-226101 (India) Phone: (O)2841022, 2841024; Fax: 0522-2841025 Web Site www. cish.res.in; E-mail- cish.lucknow@gmail.com



F.No.1-7/2016-17-M

Date: .03.2017

ONLINE NOTICE INVITING TENDER THROUGH E-PROCUREMENT BIDS (IFB)

The Director, ICAR-CISH, Lucknow invites sealed tenders for the MISC. OUTSOURCING WORK AT CISH, REHMANKHERA, R.B.ROAD CAMPUS, LUCKNOW AND CISH-RRS, MALDA (WB) as per details given below:-

Tender No.	Name of the work	Quantity Required	Tender Fees	Earnest Money may be deposited in shape of FDR/BG in favour of "ICAR UNIT CISH, Lucknow
02/2017	MISC. OUTSOURCING WORK AT CISH, REHMANKHERA, R.B.ROAD CAMPUS, LUCKNOW AND CISH-RRS, MALDA (WB)	One	Rs.1000/-	Rs.1,00,000.00

- Online Bid is invited for the MISC. OUTSOURCING WORK AT CISH, REHMANKHERA, R.B.ROAD CAMPUS, LUCKNOW AND CISH-RRS, MALDA (WB). The Tender document contains the following
- The terms and conditions along with the detailed specifications.
- Instructions for Online Bid Submission.

Tender No.	02/2017
Services at	ICAR- Central Institute for Subtropical
	Horticulture, REHMANKHERA, R.B.ROAD
	CAMPUS, LUCKNOW AND CISH-RRS,
	MALDA (WB)
Date and time for Issue/Publishing	11:00 AM on 27.03.2017
Document Download/Sale Start Date and	12:00 PM on 28.03.2017
Time	
Document Download/Sale End Date and Time	02:00 PM on 24.04.2017
Bid Submission Start Date and Time	04:00 PM on 28.03.2017
Bid Submission End Date and Time	04:00 PM on 24.04.2017
Date and Time for Opening of Technical Bids	11:00 AM on 25.04.2017
Date and Time of Financial Bids	11:00 AM on 02.05.2017

- 1. The tender form/bidder documents may be downloaded from the website:https://eprocure.gov.in/eprocure/app. Online submission of Bids through Central Public Procurement Portal (https://eprocure.gov.in/eprocure/app) is mandatory. Manual bids shall not be accepted.
- 2. Tenders/bidders are requested to visit the website http://eprocure.gov.in/eprocure/app regularly. any changes/modifications in tender enquiry will be intimated by corrigendum through this website only.
 - 3. Financial bids of only technically acceptable offers will be opened.
- 4. In case, any holiday is declared by the Government on the day of opening, the tenders will be opened on the next working day at the same time. The Director reserves the right to accept or reject any or all the tenders.
- 5. The interested Firms are required to deposit (In original) an Earnest Money Deposit (EMD) & tender fees in the form of Demand Draft/RTGS on or before bid submission closing date by post or in person to the office latest by the last date of bid submission. The details of the DD/any other accepted instrument physically sent, should tally with the details available in the scanned copy and the data entered during bid submission time otherwise the uploaded bib will be rejected.

The Firms are required to upload copies of the following documents:-

- (a) Scanned copy of Earnest Money Deposit (EMD) and Tender fees.
- (b) Scanned copy of Firms registration, VAT, RTGS Details and all relevant documents as per technical bids required documents

6.Instruction for online bid submission: As per the directive of the Government the tender document has been published on the CPP Portal. The bidders are required to submit soft copies of their bids electronically on the CPP Portal, using valid Digital Signature certificates.

Tender fee non-refundable fee of Rs.1000/- in the form of a Demand Draft/RTGS through drawn in favour of ICAR Unit CISH, Lucknow, payable at Lucknow and also deposit in ICAR-Unit-CISH LUCKNOW A/c No.1153012101000034 Punjab National Bank Rehmankhera Lucknow IFSC Code:PUNB0619500 and bank deposit receipts must be attached with the tender form for verification. http://www.eprocure.gov.in. All bids must be accompanied with all relevant documents, Earnest Money and Tender fees. No interest will be paid on EMD.

The bids received in time will be opened in the presence of the bidders/authorized representatives who opt to attend, at the address given above on the schedule time.

In the event of any of the above dates being declared as a holiday/closed day for the purpose, the bids will be sold/received/opened on the next working day at the appointed time

Encl: As above.

List of required documents should be attached with the tender

1	Copy of Pan number	Attached/Not Attached	Yes/No	Please mention page No. in Tender Form
2	Copy of Sales Tax/Vat/Service tax	Attached/Not Attached		
	registration			
3	Tender Form duly signed	Attached/Not Attached		
4	Earnest money deposit	Attached/Not Attached		
5	Schedule of requirement	Attached/Not Attached		
6	Bid form and price schedule	Attached/Not Attached		
7	Authorization certificate from	Attached/Not Attached		
	Principal/Manufacturing			
	certificate if bidder is			
	manufacturer			
8	Product Literature/leaflets of	Attached/Not Attached		
	quoted model			
9	Technical Specification	Attached/Not Attached		
10	Documents showing capability to	Attached/Not Attached		
	carry out supplier's maintenance,			
	repair & spare parts stocking			
	obligations.			
11	Duly completed Questionnaires	Attached/Not Attached		
12	List of the users for the quoted	Attached/Not Attached		
	model along with postal address			
	telephone no. and e-mail/Mobile			
	No.			
13	Tender Fee	Attached/Not Attached		

Authorized Signatory of the Firms



भा.कृ.अनु.प.–केन्द्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान

ICAR-Central Institute for Subtropical Horticulture रहमानखेड़ा, पो. काकोरी, लखनऊ—226101 (भारत)

Rehmankhera, P.O. Kakori, Lucknow-226101 (India) Phone: (O)2841022, 2841024; Fax: 0522-2841025

Web Site www.cish.res.in; E-mail-cish.lucknow@gmail.com



Date:

F.No.1-7/2016-17-M

To,		

Subject: Online through E-Procurement invitation of tender-regarding.

Dear Sir(s),

On behalf of the Services, you are invited to submit your most competitive tender in the enclosed format for the same. You are also requested to submit the following documents along with your tender, otherwise your tender will not be entertained.

- 1. Schedule of Requirements
- 2. Technical Specification
- 3. Questionnaire
- 4 Bid Form and Price Schedules
- 5. Bank Guarantee/FDR/for Bid Security.
- 6. Manufacture's Authorization Form.

Each column/ blank be filled properly and every papers/documents enclosed with bid documents must be signed /stamped by the authorized signatory of the firms/Company.

Instructions to Bidders (ITB) and General Condition of Contract (GCC) may not be sent along with tender and these may be retained by bidders for their information and reference.

Care has been taken to avoid contradiction between stipulation in the ITB, GCC and those in the other sections of the bidding documents. But wherever contradiction arises, if any, stipulations contained in the Schedule of requirements shall prevail.

Yours faithfully,

Encl: As above.

ASSTT.ADMN.OFFICER

ICAR-CENTRAL INSTITUTE FOR SUBTROPICAL HORTICULTURE REHMANKHERA, P.O. KAKORI LUCKNOW-2261 01 (UTTAR PRADESH)



TENDER FOR MISC. OUTSOURCING WORK AT CISH REHMANKHERA, R.B. ROAD CAMPUS, LUCKNOW AND CISH-RRS, MALDA (W.B.)



TENDER DOCUMENTS

LAST DATE OF RECEIPT OF BID 24.04.2017 UPTO 4.00 PM

Date of opening:-

Technical Bid opening date : 25.04.2017 at 11.00 AM
 Financial Bid opening date : 02.05.2017 at 11.00 AM

Phone No. 0522-2841022, 2841023

FAX No. 0522-2841025

WEBSITE: www.cish.res.in Email-cish.lucknow@gmail.com

ICAR-CENTRAL INSTITUTE FOR SUBTROPICAL HORTICULTURE REHMANKHERA, P.O. KAKORI LUCKNOW- 226 101 (UTTAR PRADESH)

TENDER FOR MISC. OUTSOURCING WORK AT CISH REHMANKHERA, R.B. ROAD CAMPUS, LUCKNOW AND CISH-RRS, MALDA (W.B.)

Index

SR.	DESCRIPTION	PAGE NO.
NO.		
1.	Letter addressed to tenderer having general	8-11
	information and guidelines of the tender	
2.	Letter from the tenderer addressed to Director,	12
	ICAR-CISH, Lucknow	
3.	Proforma of Experience (Annexure –I)	13
4.	Schedule –I of Tender containing part – I,II	14-15
	&III	
5.	Schedule –II containing Scope of Work /Work	16-22
	to be executed & General Information, other	
	Terms & Conditions of the Service Contract	
6.	Financial Bid (Annexure –II)	23
7.	Declaration of non-involvement in any illegal	24
	activities (Annexure - III)	
8.	Technical Bid (Annexure - IV)	25

ICAR-CENTRAL INSTITUTE FOR SUBTROPICAL HORTICULTURE REHMANKHERA, P.O. KAKORI, LUCKNOW-2261 01 (UTTAR PRADESH)

TENDER FOR MISC. OUTSOURCING WORK AT CISH REHMANKHERA,R.B. ROAD CAMPUS, LUCKNOW AND CISH-RRS, MALDA (W.B.)

IMPORTANT DATES AND INFORMATION

S. N.	Details of Schedule	Date, Time and Information
1.	RECEIPT OF TENDERS	24.04.2017 upto 04.00 pm
2.	OPENING OF TECHNICAL BID	25.04.2017 at 11.00 am
		02.05.2017 at 11.00 am
3.	OPENING OF FINANCIAL BID	
4.	VALIDITY OF TENDER	120 Days from the date of opening of tender
5.	CONTRACT PERIOD	One year from the date of award
6.	AMOUNT OF EARNEST MONEY DEPOSIT	Rs. 1,00,000.00
7.	AMOUNT OF PERFORMANCE SECURITY DEPOSIT	10% of Tendered Amount (Calculated on the basis of approximate One year requirement)
8.	PAYMENT BY CISH, LUCKNOW	Against monthly bills on production of certification by the concerned

Important

- 1. The Tender is consisting of Two Bid system i.e. the Financial Bid and the Technical bid. Both the Bids should be sealed in separate envelop duly super scribed. The financial bid will be opened only for those tenderers who qualify/fulfill the technical bid.
- 2. Technical bid contain all terms & conditions along with commercial terms and conditions.
- 3. As per the previous records of the Institute the tentative expenditure on MISC. OUTSOURCING WORK AT REHMANKHERA, R.B. ROAD CAMPUS and CISH-RRS, Malda (W.B.) which are mentioned in this tender is around Rs.40.00 lakh per annum.



भा.कृ.अनु.प.–केन्द्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान

रहमानखेड़ा, पो. काकोरी, लखनऊ–226 101 (उत्तर प्रदेश)

ICAR-Central Institute For Subtropical Horticulture

Rehmankhera, P.O. Kakori, Lucknow-226 101 (Uttar Pradesh)

E-mail: cish.lucknow@gmail.com Web Site: www.cish.res.in



F. No. 1-7/2016-17/M	Dated:	03.2017
То		
		

Sub: INVITATION OF SEALED TENDERS FOR Providing Misc.Out Sourcing Services –at CISH Rehmankhera/R.B. Road Campus Lucknow and CISH-RRS, Malda (W.B.).

Dear Sir(s),

Central Institute for Subtropical Horticulture, Lucknow has two experimental farms, one each located at Rehmankhera (Area: 132.5 ha), 30 kms far from Lucknow city on Hardoi road and the other at Raibareilly Road (Area:13.2ha) and CISH-RRS, Malda (W.B.)(Area: 70.04 Acres) the present tender is for both the farms and its Regional Station RRS-Malda.

Sealed Tenders are hereby invited on behalf of the Director, CISH for outsourcing of jobs for Labour Contract misc. out sourcing services – at CISH Rehmankhera, R.B. Road Campus, Lucknow and CISH-RRS, Malda (W.B.)

- 1. This Tender consist of Two Bid system, the Financial Bid and the Technical Bid. Both the Bids should be sealed in separate envelop duly super scribed. The financial bid will be opened only to those tenderers who qualify/fulfill the technical bid. The bid validity period shall be 120 days from the date of opening of the tender.
- 2. Technical bid consisting of all technical details along with commercial terms and conditions is enclosed as ANNEXURE III.
- 3. The terms and conditions of the contract which will govern any contract made are those contained in the General conditions of contract applicable to the contracts and spell schedule and the special terms and conditions detailed in the Tenders forms and its schedules. Please submit your rates in the Tenders form if you are full feeling GOI norms and in a position to furnish the requisite services in accordance with the requirements stated in the attached schedules.
- 4. The Firms/ parties quoting/offering on downloaded tender form from website will have to submit the tender cost of Rs. 1000/- only in the shape of Bank Draft in favour of "ICAR Unit CISH" Lucknow, failing which the tender will be liable to be rejected.
- 5. An earnest money of Rs.1,00,000.00 must be deposited in the form of demand draft/pay order payable to ICAR Unit CISH, Lucknow. The particulars of the earnest money deposited must also be super scribed on the top of the envelope by indicating the draft/pay order number and date, failing which the Tenders will not be opened. The Tenders will not be considered if earnest money is not deposited with the Tenders.

- 6. The Tenderer is being permitted to give Tenders in consideration of the stipulations on his part that after submitting his Tender, he will not rescind from his offer or modify the terms and conditions thereof. If the Tenderer fails to observe and comply with the foregoing stipulation the aforesaid amount of EMD will be forfeited by the Institute. In the event of the offer made by the Tenderer not being accepted, the amount of earnest money deposited by the Tenderer will be refunded to him after he has applied for the same, in the manner prescribed by the Institute.
- 7. The Schedules of the Tenders form should be returned intact and pages should not be detached. In the event of the space provided on the schedule form being insufficient for the required purpose, additional pages may be added. Each additional page must be numbered consecutively and be signed in full by the tenderer. In such cases reference to the additional pages must be made in the Tenders form. If any modification of the schedule is considered necessary it should be communicated by means of a separate letter along with the Tenders. Overwriting/erasing in rates to be quoted by the Tenderer will not be allowed otherwise the Tenders may be rejected.
- 8. It has been noticed that sometimes the tenderer quote un-workable service charges vis-à-vis scope of work, resulting in either unsatisfactory performance or injustice to the workers by not getting their due minimum wages along with other statutory charges. It may therefore, be ensured that the service charges of the firm must be indicated separately in the financial bid and should not be less than the payable statutory declaration required to be deducted by the Institute.
- 9. The Tenders are liable to be ignored if complete information as required is not given therein or if the particular asked for in the schedules to the Tenders is not fully filled in. Individual signing the Tenders or other documents connected with the contract may specify whether he signs it in the capacity of (i) a sole proprietor of the firm or constituted attorney of such sole proprietor, or (ii) a partner of the firm if it be partnership in which case he must have authority to refer to arbitration dispute concerning the business of the partnership whether by virtue of the partnership agreement or power of attorney or (iii) constituted attorney of the firm if it is a company.
- 10. If Tenderer does not accept the offer, after issue of letter of award by CISH within 15 days, the offer made shall be withdrawn & Earnest money will be forfeited.
- 11. In case of partnership firms, where no authority to refer disputes concerning the business of the partnership has been conferred on any partner, the Tenders and all other related documents must be signed by every partner of the firm. A person signing the Tenders form or any other documents forming part of the contract on behalf of another shall be deemed to warranty that he has authority to bind such other and if, on enquiry it appears that the persons so signing had no authority to do so, the Council shall without prejudice to other civil and criminal remedies cancel the contract and hold the signatory liable for all costs and damages. Each page of the Tenders and the schedules to the Tenders and annexure, if any, should be signed by the Tenderer.
- 12. The original copy of the Tender is to be enclosed in double cover. The Inner cover should be sealed. The outer cover should be super scribed "Providing Misc. Outsourcing Services—at CISH Rehmankhera/ R.B. Road Campus, Lucknow and CISH-RRS, Malda (W.B.)" with address of this office and of the Tenderer shall place envelops duly worked "Technical bid, Financial bid and the main envelop separate. All Tenders should be sent by registered post. Tenders to be hand delivered should be put in the Tenders box, which will be kept in the room of Asstt. Administrative Officer of the CISH, Rehmankhera 226 101. Tenders received late on any accept shall not be considered.
- 13. You are at liberty to be present or to authorize a representative to be present at the time of opening of the Tenders. The name and address of the representative who would be attending the opening of the Tenders on tenderer behalf should be indicated in the application for the tender. Please also state the name and address of your permanent representative, if any.

- 14. The Institute is not bound itself to accept the lowest or any other Tenders and also reserve to itself the right of accepting the Tenders in whole or in part of the Tenders. You are however at liberty to Tender for the whole or any portion or to state in the Tenders that the rates quoted shall apply only if the Tenders are considered fully. Other conditional Tenders will not be accepted.
- 15. An amount of 10% of total contract value will have to be deposit as a performance security deposit by the Selected Agency/Successful Tenderer only after receiving a communication from the Institute. In the event of non-deposition of the same, the earnest money will be forfeited.
- 16. No interest on Misc. Outsourcing work security deposit and earnest money deposit shall be paid by the Institute to the Tenderer.
- 17. The service tax or any other tax on material/service in respect of this contract shall be payable by contractor as per GOI rules and Institute will not entertain any claim whatsoever in this respect The Service registration tax No. along with TIN No. must be invariably mentioned as well as in the bills for payment. The Income tax or any other tax which is as per the rule of the Govt. of India, UP, WB and other statutory bodies shall be paid by the agency itself to the concerned department. Institute will deduct only TDS @ prescribed rate from the monthly bills of the successful tenderer as per the rule/ instructions made applicable form time to time by Government against which necessary Form-16 A will be issued.
- 18. Director, CISH reserves the right to reduce or terminate the period of contract or to extend its duration in the interest of the Institute, for any justifiable reasons, not mandatory to be communicated to the Tenderer.
- 19. Decision of Director, CISH will be final for any aspect of the contract and binding to all parties. Disputes arising, if any on the contract will be settled at his/her level by mutual consultation and in case of failure of settlement dispute shall be reffered to the sole arbitrator to be appointed by the Director CISH, Lucknow. The decision of the sole arbitrator so appointed by the Director CISH, Lucknow shall be final and binding on the parties. The arbitrator proceeding shall be governed by the Arbitration & conciliation Act 1996.
- 20. Acceptance by the Institute will be communicated by FAX/Telegram, Express letter or any other form of communication. Formal letter of acceptance and work order of the Tenders will be forwarded as soon as possible, but the earlier instructions in the FAX letter etc. should be acted upon immediately.
- 21. The contract will be initially for a period of one year. The period of contract may be changed, which is, as per the discretion of the competent authority and can be extended for a further period of one year subject to maximum duration of 2 years during the period of contract on such terms and conditions as are mutually agreed upon.
- 22. This Institute implements provisions of the RTI Act 2005. The information provided is liable to be disclosed.
- 23. Successful bidder need to abide by all the provisions of the minimum wages act, child labour act and /or other Labour acts in force on tenderer in providing services to the Institute.
- 24. The ESI and EPF acts as applicable will also have to abide by the successful tenderer. On requirement of the Institute the successful tenderer will have to deposit/submit the ESI and EPF numbers of the staff working in the Institute and also submit the receipts on account of deposit of the money in the office of ESI and EPF in respect of the staff working at the Institute.
- 25. Successful Tenderer will have to enter into a detailed contract agreement with CISH on non-judicial stamp paper of Rs. 100/- for each work.
- 26. The wages to be provided by the contractor to the staff will be governed by the Central Govt.

minimum labour wages act.

- 27. The documents are required to be enclosed with the Tender form which will be the part of the Technical bid of the Tender document are shown in Annexure-III of Tender Document.
- 28. Execution of the work will start by the successful tenderer only after completion of all the codal formalities, like agreement on Rs.100.00 Non-Judicial Stamp paper, deposit of Performance security i.e.10% (ten percent) of total contract value. (Calculation on the basis of approximate 1 (One) year requirement)
- 29. The contractor should submit quarterly return of Service tax as charged by him in the quarter from the Institute.
- 30. The following documents/vouchers are required to be enclosed with the Tenders form which are the terms and conditions of the Tenders document:
 - a) Registration certificate of the firm under the work contract of the Govt. of UP/GOI.
 - b) Minimum turnover of the firm not less than Rs.50,00,000.00 during the last financial year.
 - c) Last three years continuous experience of the firm in the field of Providing such services in Central Govt. establishments/Autonomous bodies of Govt. of India/Corporations of Govt. of India/reputed public or private organizations provide the details in enclosed tabular form.
 - d) Certified Balance Sheet of the firm for last three year of the service contract by the Chartered Accountant.
 - e) Duly certified copies of the satisfactory services where the Tenderer is Providing the services for the last three years.
 - f) Employee EPF registration certificate issued by local govt. etc.
 - g) Employee ESI registration certificate issued by local govt. etc.
 - h) The service tax registration issued by the Government.
 - i) The agency must have certificate of Central labour commissioner issued by them under Central Contract Labour Act, 1970.
 - j) Whether the firm has any legal suit/criminal case pending against it for violation to PF/ESI, Minimum wages Act or other laws (give details). The firm/agency must enclose a certificate on Rs. 10.00 Non- Judicial Stamp Paper indicating that there is no criminal/legal suit pending or contemplated against them.
 - k) The Tenderer will be considered for financial bid who will qualify in the Technical bid.
 - 1) The Tender may be addressed to the Director, ICAR-CISH, Rehmankhera, P.O. Kakori Lucknow 226 101.

Yours faithfully,

Assistant Administrative Officer for on behalf of Director, ICAR-CISH Rehmankhera, Lucknow TENDER FOR ANNUAL CONTRACT FOR PROVIDING Misc. Outsourcing Work at CISH Rehmankhera, R.B. Road Campus, Lucknow and CISH-RRS, Malda (W.B.) Full Name & Address of the Tenderer in addition to Post Box No. (if any, should be quoted in all communications to this office): Telephone No.: Address/FAX/Cellular No.: E-Mail address: From To The Director, CISH, Rehmankhera, P.O. Kakori, Lucknow – 226101 I / We have read all the particulars regarding the General information and other terms and conditions of the contract for PROVIDING seasonal Misc. Outsourcing Work at CISH Rehmankhera, R.B. Road Campus, Lucknow and CISH-RRS, Malda (W.B.) and agree to provide the services as detailed in the schedule herein or to such portion thereof as you may specify in the acceptance of the Tender at the rates given in the prescribed schedule as financial bid of this Tender and I/we agree to hold this offer open till 120 days. The rates quoted will be valid for a period of one year in the event of award of the Contract. I/We shall be bound by a communication acceptance dispatched within the prescribed time. 2 I/We have understood these terms and conditions for the contract and shall provide the best services strictly in accordance with these requirements. The following pages have been added to and from a part of this Tender . The 3. Schedules-I & II to accompany this Tenders are at pages Every page so attached with this Tender bears my signature and the office seal. 4. Pay order / DD No. ______ of Rs. _____ drawn in favour of 5. ICAR Unit CISH, Lucknow and payable at Lucknow is enclosed as earnest money required. Yours faithfully, Dated: Signature & Seal of the Tenderer Telephone No. Office Address _____ Resi. Occupation Mobile

Signature of witness to contractor's signature

Name & Signature of Witness:

Address:

Address:

Details of the Minimum 3 years experience/work done.

Sl. No.	Name of the Deptt./ Organization & Name of contact Person with Ph. No.	Period		No. of Labour deployed	Remarks
		From	То		

(Authorised Signatory)

SCHEDULE-I

SCHEDULE OF TENDERS (SECTION-I)

PART – I

- 1. Name of the Firm/Agency
- 2. Full address with Post Box No. And Telephone No. if any
- 3. Constitution of the Firm/ Agency (Attached copy)
 - a) Indian Companies Act, 1956
 - b) Indian Partnership Act, 1932 (Please give names of partners)
 - c) Any other Act, if not, the owners
- 4. For Partnership firms whether registered under the Indian Partnership Act, 1932, please state further whether by the partnership agreement to arbitration has been conferred on the partner who has signed the Tender.
 - i) If answer to the above is in negative whether there is any general power of attorney executed by all the partners of the firm authorizing the partner who has signed the Tenders to refer dispute condemning business of the partnership to arbitration
 - ii) If the answer to above is in point one and two the affirmative please furnish a copy of either the partnership agreement or the general power of attorney as the case may be.

 The copy should be attested by a Notary Public or its execution would be admitted by affidavit on a properly stamped paper by all partner
 - As Per Ministry of Finance, Government of India order no. 1(1)/2011/TA/292, dated 31.03.2012 e-payments for more than Rs. 25,000.00 is mandatory. Hence following information needs to be provided
 - a) Name and Full Address of your Banker's
 - b) Bank Account No. of the firm
 - c) IFSC Code No. of the Banker
- 6. Your Permanent Income Tax Account No (PAN)./Circle/Ward

7.	Any other relevant information
8.	Service tax registration No.
9.	TIN No.
	PART – II
10.	Earnest Money Deposited: Yes/No PART – III
11.	Name and Address of the firm's representative and whether the firm would be representing at the opening of the Tenders
12.	Name of the Permanent Representative to be visiting CISH Rehmankhera/ R.B. Road Campus/ CISH-RRS, Malda (WB) regarding the contract (Separately may be indicated for Rehmankhera and R.B. Road Campus)
Date :_	
Place:_	

AUTHORISED SIGNATORY

Please add supplementary pages to be numbered wherever needed by the Tenderer.

TECHNICAL SPECIFICATION:-

Tender No.02/2017:

Scope of work:

Providing Highly Skilled/ Semi Skilled/ Unskilled Job Work Contract CISH, REHMANKHERA, R.B.ROAD CAMPUS LUCKNOW and CISH-RRS (MALDA)

A. DETAILED SCOPE OF WORK FOR HIGHLY-SKILLED / SKILLED

- 1. Computer operation/typing and other office assistance Services.
 - (i) Hindi/English computer typing work of the Section/Division as per the requirement.
 - Data base creation and handling. (ii)
 - Feeding of different information in Computers and processing the same. (iii)
 - Assisting in processing of Various Type of Advances eg. GPF, Medical, LTC, TA & pay bills (iv)
 - Assisting in Purchase of Chemical, Glassware on rate contract, Purchase of Equipments (v) Preparation of Expenditure Statement, Dealing of leave matters of staff.
- 2. Reception front office services: Daily visitor entry on Computer and Welcome to VIPS or any other work of such nature as assigned by the Nodal Officer/Designated Officer from time to time.
- 3. Services of Driving Car//Mini Bus/Bus/Truck/Tractor etc. or any other work of such nature as assigned by the Nodal Officer/Designated Officer.(Driver should have a valid during license)

4. Lab technical work services

- Services of helping scientist to carry out the technical services, practical classes and other (i) duties as and when required for the Lab.
- Services of day to day washing of glass ware and plastics wares, sterilization of glassware and (ii) cleaning the lab tables, etc.
- (iii) Services of handling and caring of experimental plants, fruits etc, and any other work as and when required pertaining to research and teaching.
- Services of helping scientist to carry out practical classes, cleaning of Lab., Specimen (iv) collection, Sterilization of glassware, Handling Equipments, weighing Chemicals, Any other work assigned by the scientists or any other work of such nature as assigned by the Nodal Officer/Designated Officer.

5. Services of Field Enumerator/Data Entry Operator/Data Collector

Services of workers with enough technical skill for visiting farmer's for survey Data Collection, Data Entry and Documentation.

6. Services of Electrician/ Refrigeration/Masonry/ Plumber

Providing services regarding repair and maintenance complaints and other technical work at R B Road and Rehmankhera campuses in coordination with Engg. Section, to help handling such daily repair maintenance work load or any other work of such nature as assigned by the Nodal Officer/Designated Officer.

Electrician: On daily basis

Refrigeration:- As and when required. Masonry:- As and when required.

Plumber:- As and when required.

7. Services of G. Set (Generator Operator)

Providing services round the clock running and operation of 250 & 125 KVA/62.5 KVA D. G. Set at CISH, Lucknow and CISH-RRS, Malda (WB).

- 1. Generator has to be stared within a minute of hydel failure.
- 2. Trained generator operators services to release the air from PT pump and fuel line.
- 3. Services should include checking the distilled water in Battery, Lub Oil level in sump, Diesel level in fuel tank, water levels in radiator regularly.
- 4. Battery terminals should be cleaned regularly.
- 5. POL and any other spares parts required will be provided departmentally.
- 6. Any damage done due to mishandling of generator will be got repaired/replaced by the contractor free of cost.
- 7. Contractor will be responsible for any kind of theft of POL and items lying at generator room.

B. <u>DETAILED SCOPE OF WORK FOR SEMI-SKILLED/UN-SKILLED</u>

1. Services of Technician Helper

To give support/Help in the work of technicians or any other work of such nature as assigned by the Nodal Officer/Designated Officer.

- (i) Dak/Files distribution within CISH Campus.
- (ii) Up keeping/arranging of files in the Sections.
- (iii) Photocopy of papers/circulars etc. and making sets as required.
- (iv) Bringing water/tea etc. for the staff members in the sections/Senior Officers.
- (v) Bringing stationery or any other item for the use of Section from Central Store of CISH or any other point as asked by the Nodal Officer.
- (vi) Services is to be provided from Monday to Saturday except second Saturday from 9:30 AM to 4:30PM. Sometimes in emergency of work, services of supporting staff are to be rendered to Sunday and beyond the office hours also including holidays etc.
- (vii) Normal dusting and upkeep work at tables and/or in Section etc. or any other work of such nature as assigned by the Nodal Officer/Designated Officer.

2. Services of Guest House Attendant

Day to day maintenance of the rooms, furniture, carpet, utensils etc. dusting/Cleaning of the rooms of the Guest House or any other work of such nature as assigned by the Nodal Officer/Designated Officer.

3. Services of Labour

- (i) To carry different manual and labour related work as per requirement of concerned section.
- (ii) Cleaning and up keeping of the office of the undersigned in the order.
- (iii) To carry out different other miscellaneous works as and when arises.
- (iv) The labour will do all the supporting work in experimental sheds, maintenance and cleanliness of Division galleries or any other work of such nature as assigned by the Nodal Officer/Designated Officer from time to time.

4. Services of Lab Attendant

To carry out/assisting scientists in laboratories and daily routine works to be followed for smooth functioning of research experimental works or any other work of such nature as assigned by the Nodal Officer/Designated Officer.

Terms & Conditions

- 1. The outsourcing for providing *Misc. Outsourcing Works at CISH Rehmankhera*, R.B. Road Campus, Lucknow and CISH-RRS, Malda (W.B.) separately shall have to be undertaken without causing any damage to the Institute properties. In case, any damages is caused by the workers deployed by the contractor to do the work, the same shall be recovered from the contractor, and the total damage will be estimated by the Director, CISH, Lucknow and contractor shall agree for recovery of the same.
- **2. Scope of work:** The scope of work as defined in Schedule IIIA Any other minor work may be assigned by the competent Authority without any extra payment.
- 3. Uniform to the workers will be provided by the Contractor as per requirement, at his own cost.
- 4. Transportation: The contractor shall make his own transportation arrangements for all the workers. No extra charges will be paid by CISH.
- 5. The contractor shall not sublet the work without prior written permission of the Institute.
- 6. The Services shall have to be provided for the entire locality of the Institute premises at CISH Rehmankhera, R.B. Road Campus, Lucknow and CISH-RRS, Malda (W.B.).
- 7. The agency shall employ good and reliable persons with robust health and clean record preferably within the age group of 21 to 50 years. In case any of the personnel so provided is not found suitable, the Institute shall have the right to ask for their replacement without giving any reasons therefore and the agency shall on receipt of a written communication will have to replace such persons immediately.
- 8. The rates to be quoted separately for Rehmankhera, R.B. Road Campus and CISH-RRS, Malda (W.B.) should include cost of each and every item including transportation cost, manpower cost etc. The Institute shall not bear any extra charge on any account whatsoever i.e. EPF contribution, ESI contribution, Uniform, Liveries, OTA etc.
- 9. Contractor shall have to provide ID cards to each of the employee which would be valid for seeking entry to the premises. The workers have to display identity card as and when they enter into/out CISH, Lucknow.
- 10. The contractor will discharge all his legal obligations in respect of the workers to be employed/deployed by him for the execution of the work in respect of their wages and service conditions and shall also comply with all the rules and regulations and provisions of law in force that may be applicable to them from time to time. The contractor shall indemnify and keep indemnified the Council from any claims, loss or damages that may be caused to it on account of any failure to comply with the obligations under various laws. In case of any dispute, the decision of Director of the Institute shall be final and binding on the contractor.
- 11. The selected contractor shall provide the necessary personnel for providing above services separately at CISH, Rehmankhera, R.B. Road Campuses, Lucknow and CISH-RRS, Malda (W.B.) as per labour act provisions prevalent in Govt. of WB/UP/GOI.
- 12. The tender <u>duly signed on all pages of the document</u> shall be submitted along with the technical and financial bids in separate envelops super scribed as "Technical Bid" and "Financial Bid", failing which the tender shall not be considered.

- 13. No accommodation/no living place will be provided by the Institute to the personnel deployed by the agency.
- 14. Within 21 (twenty one) days after the issue of notification of award of outsourcing of jobs by the CISH, the Contractor shall furnish performance security *Misc. Outsourcing Works* to the CISH office for an amount of 10% (ten percent) of the total contracted value.(Calculated in approximate 1(One) year requirement)
- 15. As compensation for any loss resulting from the suppliers, failure to complete its obligations under the contract shall be recovered from the performance security.
- 16. The performance security *Misc. Outsourcing Works* shall be denominated in Indian Rupees and shall be in one of the following forms:
 - a. Demand draft/Pay order of any scheduled bank to be drawn in favor of ICAR Unit -CISH payable at Lucknow
 - b. Bank guarantee/FDR issued by scheduled bank in the prescribed form.
- 17. The performance security *Misc. Outsourcing Works* will be kept by the CISH and returned to the contractor on completion of CISH contractual obligation satisfactorily with any interest.
- 18. Payment for Services work rendered will be made upon monthly submission of pre-receipted bill.
- 19. The contractor shall make payment of wages in accordance with Minimum Wages Act by Cheque to the personnel engaged by him by 7th of the following month in the premises of **CISH** in the presence of an officer designated for the purpose by the competent authority CISH shall certify the disbursement of wages to each labourer as per contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970. So that there is no disruption in the performance of duties of deployed personnel. Wages should be paid according to the Minimum Wages Act at GOI rates and together with statutory Acts applicable by **Govt. of India/WB/UP** from time to time. CISH reserves the right to check periodically the status of the payment of wages made by him to personnel deployed.
- 20. The contractor shall submit the bills after completion of each month preferably on after 10th day of month. The bills shall be supported with the copy of acknowledgement of payment of wages, for the month & challans of deposits of EPF, Service Tax etc. of previous month. The payment will be made through e-payment as per instructions of Ministry of Finance, Government of India order no. 1(1)/2011/TA/292, dated 31.03.2012 regarding satisfactory execution of services by the officer authorized for this purpose. In case, the prescribed jobs are not completed up to the satisfactory of the authorities, suitable deductions shall be made from the payment at the discretion of Director, Central Institute for Subtropical Horticulture, Rehmankhera, Lucknow whose decision will be final and binding on the contractor.
- 21. The Contractor shall be responsible to discharge all their legal obligation of their employees in respect of their wages and other service conditions and shall also comply with all the rules and regulation and provisions of law in force that may be applicable to them from time to time, viz statutory obligation under Contract Labour (Regulation & Abolition) Act, 1970. Minimum wages Act, Workman's compensation Act EPF & MP Act, Industrial Dispute Act etc. The Contractor shall agree to indemnify himself for any claims, losses or damages that may be caused to the CISH on account of the Contractor's failure to comply with their obligation under the various laws towards their workers engaged by them or any losses or damages to CISH due to acts/commissions by Contractor

- 22. Under no circumstances, the workmen of the Contractor shall be treated, regarded or considered or deemed to be the employees of the CISH and the Contractor alone shall be responsible for their remuneration wages and to their benefits service conditions and welfare of all the workers deployed by the agency/contractor and shall indemnify against any claims may arise in respect of the workers act/commission leading to the losses to CISH by the personnel deployed by the Contractor.
- 23. Any compensation for disengagement on account of death, disability of any workers provided for deployment in the Institute campus (working hours), even if such disability manifests after the termination of the contract shall be contractor's exclusive liability. The contractor should insure the person engaged by him for job contract work at CISH, Lucknow for all coverage of causality, death or accident.
- 24. The contractor is wholly responsible to provide the personnel in the Institute premises and if any accident/untoward incident happen, on account of improper workmanship with the concerned person during duty, the whole responsibility for settling the case with police/court lies with the contractor.
- 25. Under no circumstances, the Institute shall be made liable or additional monitory involvement other than what has been mutually agreed upon. In case of any of the above contingencies, the one part/first party herein CISH, Lucknow will have the right to terminate this agreement forthwith without notice and will not be liable to any damages and/or loss which may be suffered by the Contract Agency on account of termination of this agreement.
- 26. If any question or dispute arise between the parties here to or their representative with respect to the meaning or effect of any clauses of this agreement or about the right of liabilities of the parties hereto, then such a question or dispute shall be referred to the arbitrator and such arbitrator shall be appointed by the ICAR/CISH; his award shall be governed by the provisions of the Arbitration and Conciliation Act 1996 for time being in force in India Union and shall be binding on both the parties hereto.
- 27. This agreement shall be enforceable in Courts situated at Lucknow, U.P. Any suit or application for enforcement of the above shall be filed in the competent court at Lucknow and no other court of any other district of U.P. or outside U.P. shall have jurisdiction in the matter.
- 28. The worker deployed by the contractor shall not develop social relationship with Institute Staff.
- 29. The worker shall be provided with every necessary things required/related to the outsourced job to be performed etc., by the Contractor.
- 30. Failure to Exercise Institute's rights: Any omission on the part of CISH at any time to exercise any of its rights under the terms of the contract of *Misc. Outsourcing Works* shall in no way impair or affect the validity of the terms and the rights of CISH to enforce its rights at any time subsequent.
- 31. <u>Contract period</u>: This agreement with successful Contracting firm/Contractor shall be enforced for a period of 12 months from the date of execution of the contract period. The period of contract could be changed, which is, as per the discretion of the competent authority and can be extended for a further period of one year subject to maximum duration of 2 years during the period of contract on such terms and conditions as are mutually agreed upon.
- 32. <u>Summary Termination of the Contract</u>: In the event of instances of gross misbehavior, theft, burglary, moral turpitude, misuse of the Institute's property etc. by the Contractor or by any workmen/staff or agent of the Contractor, CISH may forthwith terminate this Contract summarily without any previous notice to Contractor and Contractor shall have no claim whatsoever against CISH.

- 33. Contractor to vacate the site on Termination/Expiry: Immediately on the termination or expiry of this contract, the Contractor and its employees and agents shall peacefully vacate the premises and handover all articles, furniture and fixtures belonging to CISH and entrusted in its custody and shall remove all its stores and effects. In case of default, CISH shall be entitled to enter into the same or remove the stores or the effects wherever lying of the Contractor and to dispose of the same by sale or otherwise without being liable for any damage.
- 34. In case the contractor or any of his workmen/staff fails to fulfill their obligations for any day or any number of days to the satisfaction of the Institute for any reason whatsoever he shall be liable for imposition of financial penalty without prejudice to his other rights and Institute shall be entitled to deduct such damages from the amount payable to him.

35. Penalty clause/Liquidated damages clause:

- 1. That the contractor shall be responsible for the faithful compliance of the work award order. Any breach or failure to perform the same may result in termination of the work order and forfeiture of the Security deposit.
- 2. An amount of Rs.500/- will be levied as liquidated damages per day. Whenever and wherever it is found that the work is not up to the mark at any point it will be brought to the notice of supervisory staff of the firm by Institute and if no action is taken, liquidated damage clause will be invoked.
- 3. Any misconduct/misbehavior on the part of manpower deployed by the agency will be viewed seriously.
- 36. The Institute is under the provision of RTI act 2005. All information provided by you under this is liable to be disclosed.
- 37. It has been noticed that sometimes the tenderer quote un-workable service charges vis-à-vis scope of work, resulting in either unsatisfactory performance or injustice to the workers by not getting their due minimum wages along with other statutory charges. It may therefore, be ensured that the service charges of the firm must be indicated separately in the financial bid and should not be less than the payable statutory declaration required to be deducted by the Institute.

The Director, CISH reserves the right to reject any or all Tenders in whole or in part without assigning any reasons therefore. The decision of Director, CISH shall be final and binding on the contractor/agency in respect of any clause covered under the Contract.

ASSTT. ADMINIDTRATIVE OFFICER

SCHEDULE OF REQUIREMENTS (SECTION-II)

1. Name of the Purchaser – **The Director,**

ICAR-CISH, Lucknow (UP)

2. Purchaser's mailing address – **Asstt. Admn Officer,**

ICAR-Central Institute for Subtropical Horticulture, Rehmankhera, Kakori, Lucknow-226101 (UP) India

E-mail: cish.lucknow@gmail.com

3. Preparation of Bids-----

- i. Price Structure: ICAR-Central Institute for Subtropical Horticulture, Rehmankhera, R.B.Road Campus, Lucknow and ICAR-CISH, RRS, Food Park, English Bazar, Malda, (W.B.).
- ii. Language of Bid- English
- iii. List of reputed customers/clients to whom Services has been made during last two years, may be submitted, if any.
- iv. The amount of Bid Security- Amount as per IFB.
- v. The bid security must be valid 120 days.

4. Submission of Bids-----

- i. Number of copies required is **One**
- ii. Address for submission of bids, to be given on the envelope is-The Asstt. Admn Officer, ICAR-Central Institute for Subtropical Horticulture, Rehmankhera, Kakori, Lucknow-226101 (UP) India
- iii. Time & Date of Technical Bid opening are 25.04.2017 at 11:00 AM
- iv. Deadline for submission of bids is 4:00 PM on 24.04.2017
- v. (In the event of the above specified date being declared a holiday for the purchaser, the bids will be received up to the appointed time on the next working day.)
- vi. "Technical Bid" & "Commercial (Price) Bid" should be kept separately in two different sealed envelop, superscripted thereon TECHNICAL BID and PRICE BID within a larger sealed packet/envelop. The larger outer cover/ envelop should indicate Tender Number, Name of the Services and opening date on the top of the right hand corner.

FINANCIAL BID ON LETTER HEAD

CONTRACT FOR Providing Out Sourcing of Services at CISH Rehmankhera/R.B. Road Campus Lucknow and CISH-RRS, Malda (WB):

Labour shall be trained in the field and preferably between the age of 21 to 50 years as on 01.01.2017. The rates/amount on job contract quoted shall be as per existing Minimum Wages Rates Act, Govt. of India and other statutory rates/payments including other expenses as indicated in the tender document and also applicable as per rule.

Rupees

Sl. No.	Description	Category of workers			No. of Workers	No.	Rate (in Rs)	Amount (in Rs.)	
		Highly Skilled	Skilled	Semi Skilled	Un-Skilled			·	
1.	Basic Pay								
2.	ESI (%)								
3.	EPF (%)								
4.	Sub-Total (1-3)								
5.	Other Statutory Liabilities								
6.	Service Charges on (4)								
7.	Total (4+5)								
8.	Service Tax as applicable (%)								
9.	Grand Total (6+7) Total								

Payments to be paid to the employees by the contractor through cash or cheques in their respective accounts in the bank or to the statutory authorities as applicable in the name of employee to whom payment is being made.

If any bidder does not quote as per the provisions of Govt. of India/UP/WB State Govt. or the Contract Labour (R&A) Act 1970, his tender shall be summarily rejected without assigning any reasons.

DECLARATION

I accept all the terms & conditions of the tender.	
Date:	
	Signature and Seal of the Bidder

Note: It has been noticed that sometimes the tenderer quote un-workable service charges vis-à-vis scope of work, resulting in either unsatisfactory performance or injustice to the workers by not getting their due minimum wages along with other statutory charges. It may therefore, be ensured that the service charges of the firm must be indicated separately in the financial bid and should not be less than the payable statutory declaration required to be deducted by the Institute.

Annexure - III

(TO BE GIVEN ON LETTER HEAD OF THE FIRM/AGENCY/COMPANY)

From				
additi be que office Telepl Telegr	ame & Address of the Tenderer in on to Post Box No. (if any, should oted in all communications to this : none No. : aphic Address/FAX/Cellular No.:			
То	The Director, ICAR-CISH, Rehmankhera, P.O. Kakori,			
	Lucknow – 226 101	I	Date :	2017
Reg:	Work- Declaration of non-involvemen	nt in any illegal activities.		
	I/ We hereby declare that my firm M/			
		. has never been involved in any illegal act		
for fin	ancial misappropriation/ fraud/ embez	zlement etc. nor any criminal case is pendir	ng agains	it me /
us, my	/ our firm in any court of law.			
		signature		
		Authorized Signatory/ Signatories	3	
		(Seal of the Contracting Firm)		

Documents/Papers to be submitted along with Tender form:

Technical Bid:-

The following documents are required to be enclosed along with the technical bid in sealed envelop.

- a) Registration certificate of the firm under the work contract of the Govt. of UP/WB/GOI.
- b) Minimum turnover of the firm not less than Rs.50,00,000.00 (Rupees Fifty lakhs only) during the last financial year.
- c) Last three years continuous experience of the firm in the field of providing such services in Central Govt. establishments/Autonomous bodies of Govt. of India/ Corporations of Govt. of India/reputed public or private organizations provide the details in enclosed tabular form (Annexure-.
- d) Certified Balance Sheet of the firm for 2014-15 & 2015-16 (two years) of the service contract by the Chartered Accountant.
- e) Duly certified copies of the satisfactory services in the organization of State/Government of India where the Tenderer has provided the services for the last three years.
- f) Employee EPF registration certificate issued by local govt. etc.
- g) Employee ESI registration certificate issued by local govt. etc.
- h) Nos. of labour registered under ESI & EPF separately. Minimum 20 nos. (labour) required and their ESI & EPF contributions. Documentary proof of vouchers to be required and may be attached.
- i) The agency must have registration with service tax department and submit a xerox copy.
- j) It should be declared by the tenderer that, whether the firm has any legal suit/criminal case pending against it for violation to PF/ESI, Minimum Wages Act or other laws (give details). The firm/agency must enclose a certificate indicating that there is no criminal/legal suit pending or contemplated against them on a non Judicial stamp paper of Rs.10.00.

- 1. Detailed specifications of the services done.
- 2. Sub services.
- 3. Bid Security.
- 4. Manufacturing certificate if bidder is manufactures.
- 5. Authorization certificate in case bidder is agent/dealer of the manufactures (As per tender format I).
- 6. Certified copy of PAN issued by Deptt. of Income Tax.
- 7. Documents showing capability to carry out supplier's maintenance, repair & spare parts stocking obligations.
- 8. Certified copy of Sales Tax/TIN/VAT/CST/Service Tax certificate.
- 9. Duly completed Questionnaires.
- 10. Duly Signed Tender Form.
- 11. List of the users for the quoted model along with complete postal address telephone no. and e-mail & Mobile No.

Price Bid:-

- 1. Price schedule duly completed enclosed with bidding documents.
- 2. Proforma Invoice from foreign principal.
- 3. A list giving full particulars including available sources and current prices of all spare parts, special tools etc. valid for a period of two years following commencement of use of equipments.
- 4. Cost of Annual maintenance charge for next 5 years after expiring of warranty period.
- 5. Warranty of the equipment should be at least 24 months/according as per mentioned in specification.
- 6. Prices should be valid at least 120 days from the date of opening of bid.
- 7. The agency commission of Indian Agent for the supply of imported goods shall be indicated in price schedule.

भा.कृ.अनु.परि.–केन्द्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान

रहमानखेड़ा, डाकघर काकोरी, लखनऊ – 226 101(भारत)

ICAR-CENTRAL INSTITUTE FOR SUBTROPICAL HORTICULTURE Rehmankhera, P.O. Kakori Lucknow – 226101(India)



भा.कृ.अनु.प.—केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, लखनऊ के रायबरेली रोड परिसर तथा रहमानखेड़ा स्थित ब्लॉक 1, 2, 3 तथा 4 एवं के.उ.बा.सं.— आर.आर.एस. माल्दा(पश्चिम बंगाल) में की जाने वाले मिसलेनियस आउटर्सोसिंग कार्यों संबंधी निविदा



निविदा दस्तावेज

बोली के प्राप्त करने की अंतिम तिथि 24.04.2017 अपराहन 4 बजे तक

खुलने की तिथि:

1. तकनीकी बोली खुलने की तिथि : 25.04.2017 पूर्वान्ह 11:00 बजे 2. वित्तीय बोली खुलने की तिथि : 02.05.2017 पूर्वान्ह 11:00 बजे

फोन : 0522-2841022, 2841023 फैक्स नं. : **0522-2841025** वेबसाइट **: www.cish.res.in**

ईमेल : cish.lucknow@gmail.com

भा.कृ.अनु.परि.—केन्द्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान रहमानखेड़ा, डाकघर काकोरी, लखनऊ – 226 101(भारत)

ICAR-CENTRAL INSTITUTE FOR SUBTROPICAL HORTICULTURE Rehmankhera, P.O. Kakori Lucknow – 226101(India)

भा.कृ.अनु.प.—केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, लखनऊ के रायबरेली रोड परिसर तथा रहमानखेड़ा स्थित ब्लॉक 1, 2, 3 तथा 4 एवं के.उ.बा.सं.— आर.आर.एस. माल्दा (पश्चिमबंगाल) में की जाने वाले मिसलेनियस आउटर्सोसिंग कार्यों संबंधी निविदा

<u>अनुक्रमणिका</u>

क्र.सं.	विवरणिका	पृष्ठ सं.
1.	निविदाकार को संबोधित पत्र जिसमे निविदा से संबंधित सामान्य सूचना तथा दिशा निर्देश दिए गए है।	4-8
2.	निविदाकार का पत्र निदेशक सी.आई.एस. एच. लखनऊ को संबोधित।	9—10
3.	अनुभव संबंधी प्रपत्र (संलग्नक I)	11
4.	निविदा की अनुसूची—I जिसमे I,II एवं III भाग सन्निहित हो।	12-13
5.	अनुसूची -II कार्य का विषयक क्षेत्र / किए गए कार्य तथा सामान्य सूचना अन्य सेवा ठेका संबंधी अन्य निबंधन एवं शर्ते।	14-21
6.	वित्तीय बोली (संलग्लक II)	22—24
7.	निविदाकर्ता द्वारा दी गई घोषणा पत्र (संलग्लक II)	25
8.	तकनीकी बोली (संलग्लक III)	26

भा कृ अनु परि – केन्द्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान

रहमानखेड़ा, डाकघर काकोरी, लखनऊ — 226 101(भारत)
ICAR-CENTRAL INSTITUTE FOR SUBTROPICAL HORTICULTURE
Rehmankhera, P.O. Kakori Lucknow – 226101(India)

भा.कृ.अनु.प.—केन्द्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान के रायबरेली रोड स्थित परिसर तथा रहमान खेड़ा स्थित ब्लाक 1,2,3 तथा 4 एवं के.उ.बा.सं.— आर.आर.एस. माल्दा (पश्चिम बंगाल) मे की जाने वाली मिसलेनियस आऊटर्सोसिंग कार्य संबंधी निविदा।

महत्वपूर्ण तिथियाँ एवं सूचना

क्र. सं.	अनुसूची का ब्योरा	तिथि, समय, तथा सूचना
1.	मोहरबन्द निविदाओं की प्राप्ति	24.04.2017 अपराहन 4.00 बजे तक
2.	तकनीकी बोली को खोलना	25.04.2017 पूर्वान्ह 11.00 बजे
3.	वित्तीय बोली को खोलना	02.05.2017 पूर्वान्ह 11.00 बजे
4.	निविदा की विधिमान्यता	निविदा खोले जाने के दिन से 120 दिनो तक
5.	निविदा अवधि	अनुबन्ध के प्रभावी होने की तिथि से एक वर्ष तक
6.	ई.एम.डी. राशि जमा	` 1,00,000 / —
7.	मिस. आउटसोर्स कार्य निष्पादन हेतु जमानत राशि जमा	निविदा की राशि का 10 प्रतिशत
8.	सी.आई.एस.एच. लखनऊ द्वारा भुगतान	मासिक बिलो तथा संबंधित द्वारा बिलो के प्रभागीकरण पर

महत्वपूर्ण

- 1. निविदा दो बोलीय प्रणाली की होगी वित्तीय बोली तथा तकनीकी बोली। दोनों बोलियों को अलग—अलग सील बंद लिफाफों में जिनके ऊपर वित्तीय बोली एवं तकनीकी बोली स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिये प्रेषित करें। उन्हीं निविदाकारों की वित्तीय बोली खोली जायेगी जिनकी बोली तकनीकी अईकताओं को पूरा करेगी।
- 2. तकनीकी बोली के निबंधन एवं शर्तों में सभी वाणिज्यिक निबंधन एवं शर्तें भी होंगी।
- 3. संस्थान के विगत रिकार्ड के अनुसार मिसलेनियस आऊटर्सोसिंग कार्य में आनुमानिक व्यय लगभग रूपये चालीस लाख ('40,00,000.00) होगा जिसका वर्णन निविदा में भी किया गया है।



भा.कृ.अनु.प.—केन्द्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान ICAR-Central Institute for Subtropical Horticulture रहमानखेड़ा, पो. काकोरी, लखनऊ—226101 (भारत) Rehmankhera, P.O. Kakori, Lucknow-226101 (India) Phone: (O)2841022, 2841024; Fax: 0522-2841025 Web Site www. cish.res.in; E-mail- cish.lucknow@gmail.com



फाइल सं. 1—7 / 2016—17 / एम.

दिनाक 03.2017

सेवा	मे	,										
		••••	••••	••••	 • • • •	 	 	 •••	 	 	 	

विषाय — मिसलेनियस आऊटर्सोसिंग कार्य—लखनऊ स्थित रहमानखेड़ा तथा रायबरेली रोड परिसर एवं के.उ.बा.सं.— आर.आर.एस. माल्दा (पश्चिम बंगाल) मे मिसलेनियस आउटसोर्स के लिए मोहरबन्द निविदा आमंत्रित की जाती है— मिसलेनियस आऊटर्सोसिंग कार्य—लखनऊ स्थित रहमानखेड़ा तथा रायबरेली रोड परिसर एवं के.उ.बा.सं.— आर.आर.एस. माल्दा (पश्चिम बंगाल) मे।

महोदय,

भा.कृ.अनु.प.—केन्द्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, लखनऊ में दो प्रायोगिक फार्म तथा माल्दा (पश्चिम बंगाल) हैं। एक रहमानखेड़ा (क्षेत्र:132.5 हेक्टेयर) जों लखनऊ शहर से 30 कि. मी. दूर स्थित है जबकी दूसरा रायबरेली रोड (क्षेत्र:13.2 हेक्टेयर) पर एवं तीसरा के.उ.बा.सं. —आर.आर.एस. माल्दा (पश्चिम बंगाल) (क्षेत्र 70.04 एकड़) में स्थित है। यह निविदा तीनों फार्मों के लिए है।

निदेशक, भा.कृ.अनु.प.—केन्द्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, लखनऊ द्वारा संस्थान के रहमानखेड़ा तथा रायबरेली रोड परिसरो एवं के.उ.बा.सं.— आर.आर.एस. माल्दा (पश्चिम बंगाल) में मिसलेनियस आऊटर्सोसिंग कार्य के लिए मोहरबन्द निविदा आमंत्रित की जाती है।

- इस निविदा मे दो बोली प्रणाली सम्मिलित है वित्तीय बोली तथा तकनीकी बोली। दोनों ही बोलियाँ अलग–अलग मोहरबन्द लिफाफों में प्रेषित की जानी चाहिए जिनके ऊपर स्पष्ट अक्षरों मे लिखा होना चाहिए । वित्तीय बोलियाँ उन्हीं निविदाकारों की खोली जाएगी जिनकी तकनीकी बोली अईता प्राप्त करेंगी।
- 2. तीन में तकनीकी बोली अनुलग्न—।।। है जिसमें सभी तकनीकी विवरणों के साथ वाणिज्यिक निबंधन एवं शर्तें दी गई हैं।
- 3. इस निविदा में दी गयी शर्त सभी निविदा दाताओं पर समान रुप से लागू होंगी । यदि वे सभी शर्तो की पूर्ति करते हैं तथा इस प्रकार की सेवाओं के लिये भारत सरकार द्वारा निर्धारित नार्म को पूर्ण करते हैं तो वे उनकी दरें इस निविदा के लिये आमंत्रित की जाती हैं ।
- 4. फर्म / पार्टी जो वेबसाइट से निविदा प्रपत्र डाउनलोड कर उद्धृरित करेंगे उन्हें एक हजार रूपया निविदा शुल्क आई.सी.ए.आर. यूनिट—सी.आई.एस.एच. के पक्ष में बैंक

ड्राफ्ट के रूप में अलग—अलग कार्यों के लिये अलग—अलग जमा करना होगा अन्यथा उनकी निविदा निरस्त कर दी जायेगी।

- 5. `1,00.000.00 (`एक लाख) की धरोहर राशि डिमान्ड ड्राफ्ट के रूप में आई.सी.ए. आर. यूनिट सी.आई.एस.एच, लखनऊ के नाम देय होगी, जमा की जाएगी। धरोहर राशि का विवरण लिफाफे के ऊपर लिखित होगा। इसमें बैंक ड्राफ्ट / बैंकर्स चेक तथा तारीख इंगित होगी। यदि निविदा के साथ धरोहर राशि जमा नहीं कराई जाती है तो निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी।
- 6. निविदाकार को निविदा यह विचार कर जमा करने दिया जायेगा कि जमा करने के पश्चात् निविदा के प्रति उसका लचीला रूप नहीं होगा या वह निबंधन एवं शर्तों में संशोधन नहीं चाहेगा। यदि निविदाकार उद्धृरित राशि का अवलोकन एवं अनुपालन करने में विफल होता है तो संस्थान द्वारा ई.एम.डी. राशा जब्त कर लेगी। यदि निविदाकार द्वारा दिया गया प्रस्ताव स्वीकार नहीं होता है तो संस्थान द्वारा दिये गये तरीके से उसके द्वारा निविदाकार के रूप में जमा की गयी ई.एम.डी. राशि बिना ब्याज के वापस कर दी जायेगी।
- 7. निविदा प्रारूप की अनुसूची पूर्ण रूप से वापस जमा करनी होगी तथा उसका कोई भी

पेज अलग नहीं किया होना चाहिये। यदि अपेक्षित उद्देश्य से संबंधित अनुसूची में

दी गयी जगह अपर्याप्त हो रही हो तो अतिरिक्त पन्ने लगाये जा सकते हैं। प्रत्येक

अतिरिक्त पन्ने पर पृष्ठ संख्या क्रमागत रूप से दी होनी चाहिये तथा निविदाकार

द्वारा हस्ताक्षरित भी होनी चाहिये। इन मामलों में अतिरिक्त पृष्ठों संबंधित संदर्भ का

वर्णन निविदा प्रारूप में किया जाना चाहिये। यदि संविदाकार द्वारा उद्ध्रित दरों पर

ओवर राइटिंग किया गया है या उसको मिटाया गया है तो संविदा नामंजूर कर दी

जाएगी।

8. यदि प्रारूप में अपेक्षित पूर्ण सूचना नहीं दी जाती है तो संविदा को अनदेखा किया

जा सकता है। या संविदा की सूचियों में माँगे ब्योरे को नहीं उपलब्ध कराया गया है।

अनुबंध से संबंधित संविदा या अन्य दस्तावेजों पर जिसे व्यक्ति ने हस्ताक्षर किया है

उन्हें स्पष्ट करना होगा कि वे किस क्षमता में हस्ताक्षर कर रहे हैं। 1. फर्म के एक मात्र प्रोपराइटर के रूप में या एक मात्र मालिक को कांस्टीट्यटेड अटर्नी के रूप में

यदि फर्म पार्टनरिशप में हो तो फर्म के पार्टनर के रूप में।

ऐसा तभी किया जाये जब पार्टनर के पास साझेदारी वाले व्यापार में विवाद होने पर विवादक के पास मामले को प्रेषित करने का प्राधिकार हो। साझेदारी समझौता या मुख्तारनामा होने पर या 3. यदि यह एक कंपनी है तो फर्म

कांस्टीट्यूटेड अटर्नी होने की स्थिति में।

9. यदि सी.आई.एस.एच द्वारा कार्य अवार्ड किये जाने के 15 दिनों के अन्दर संविदाकार ऑफर स्वीकार नहीं करता है तो ऑफर को वापस ले लिया जायेगा तथा धरोहर

राशि जब्त कर ली जायेगी।

के

- 10. फर्म यदि साझेदारी में है तथा साझेदारी के व्यवसाय संबंधी विवाद उत्पन्न पर विवायक के पास जाने का प्राधिकार किसी के पास नहीं हो तो निविदाओं तथा फर्म के अन्य सभी दस्तावेजों पर फर्म के पार्टनरों का हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। यदि कोई व्यक्ति निविदा या किसी ठेका से संबंधित अन्य दस्तावेज पर हस्ताक्षर करता है तो किसी अन्य के बदले में तो इसे वारंटी मानी जायेगी कि उस व्यक्ति के पास ऐसा करने का प्राधिकार होगा तथा यदि जाँच के दौरान ऐसा पाया जाता है कि उस व्यक्ति / उन व्यक्तियों के पास ऐसा करने का कोई प्राधिकार होगा तो परिषद अन्य सिविल तथा क्रिमिनल रेमेडीज को संज्ञान में लाये हुए संविदा को रद्द कर देगा तथा हस्ताक्षरकर्ता को सभी लागतों तथा क्षतियों के लिए जिम्मेदार ठहराएगी। निविदा तथा निविदाओं की सूचियों तथा संलग्नकों के प्रत्येक पृष्ठ को निविदाकार द्वारा हस्ताक्षरित करना होगा।
- 11. निविदाओं की मूलप्रति को दो कवरों में अनुलग्न करना होगा। अंदर का कवर सील बंद होना चाहिये। बाहरी कवर पर निविदकार के कार्यालय का पता लिखा होना चाहिये ''सी.आई.एस.एच. रमानखेड़ा तथा रायबरेली रोड परिसर लखनऊ एवं के.उ. बा.सं.— आर.आर.एस. माल्दा (पश्चिम बंगाल) के मिसलेनियस आऊटर्सोसिंग कार्य हेतु''। तकनीकी बोली, वित्तीय बोली तथा मुख्य लिफाफा अलग—अलग होना चाहिये।

सभी निविदाएँ पंजीकृत पोस्ट / स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्रेषित की जानी चाहिये। दस्ती रूप से भेजे गये निविदाओं को केन्द्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, रहमानखेड़ा, लखनऊ के सहायक प्रशासनिक अधिकारी के कक्ष में रखे हुये निविदा बॉक्स में डालना

होगा।

वह

12. यदि फर्मों द्वारा सी.आई.एस.एच. रहमानखेड़ा तथा रायबरेली रोड परिसर लखनऊ एवं के.उ.बा.सं.— आर.आर.एस. माल्दा (पश्चिम बंगाल) के मिसलेनियस आऊटर्सोसिंग

संबंधी संविदा कार्य के लिये उद्धृरित दरें एक ही हैं तो उन्हें अस्वीकार किया जा सकता है। निविदाओं के खुलने के समय निविदाकार को यह स्वतंत्रता होगी कि

स्वयं उपस्थित रहें या किसी अन्य प्रतिनिधि को प्राधिकृत कर दें। निविदाओं में उपस्थित होने वाले निविदाकारों के नाम तथा पता अनिवार्य रूप से उद्धृरित करे यदि

कोई नियमित प्रतिनिधि हो तो उसका नाम भी उद्धरित करें।

- 13. संस्थान न्यूनतम राशि वाले निविदा को मानने के लिये बाध्य नही है। संस्थान के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वह निविदा को संपूर्ण रूप से या खण्डों में स्वीकार करे। निविदाकार के पास यह स्वतंत्रता है कि वह पूरे क्षेत्र के लिये या किसी एक हिस्से के लिये निविदा दायर करे। इसके लिये कोई अन्य प्रकार के शर्तबंद निविदा को स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- 14. चयनित एजेन्सी / सफल निविदकार संस्थान द्वारा फैक्स, पत्र आदि से प्रेषित स्वीकृति के उपरान्त बागवानी प्रक्षेत्र का कार्य निष्पादन सुरक्षा जमा राशि के रूप में कुल संविदा मूल्य की राशि का 10 प्रतिशत जमा करवायेंगे। यदि यह राशि जमा नहीं की जाती है तो जमानत राशि जब्त कर ली जायेगी।
- 15. निविदाकार को संस्थान की ओर से मिसलेनियस आऊटर्सोसिंग कार्य से संबंधित सुरक्षा जमा राशि तथा जमानत राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जायेगा।
- 16. भारत सरकार के नियमों के अनुसार यदि संविदाकार को कोई सेवा कर या सामग्री/सेवा पर कोई अन्य कर निविदा से संबंधित देना हो तो उसे स्वयं ही देना होगा तथा संस्थान इससे संबंधित किसी भी प्रकार के दावे पर विचार नहीं करेगा। सेवा पंजीकरण टैक्स संख्या के साथ तीन संख्या अनिवार्य रूप से हर अदायगी बिल पर उद्धिरत रहेगी। इनकम टैक्स या उत्तर प्रदेश सरकार का कोई अन्य कर एजेन्सी द्वारा स्वयं ही संबंधित विभागों को दिया जायेगा। संस्थान द्वारा सफल निविदाकार के मासिक बिलों से नियमों/अनुदेशों में होने वाले परिवर्तनों के मद्देनजर टी.डी.एस. काटा जायेगा। यदि आवश्यकता होगी तो फॉर्म 16 जारी किया जायेगा।
- 17. सी.आई.एस.एच. के निदेशक के पास न्यायसंगत कारणों से संस्थान के हित में संविदा की अवधि कम करने या समाप्त करने या बढ़ाने का अधिकार है जिसकी सूचना निविदाकार को दे दी जायेगी।
- 18 सी.आई.एस.एच. के निदेशक का निर्णय संविदा के किसी भी पहलू के लिये अंतिम होगा तथा सभी पक्षों को इसको मानने की बाध्यता होगी। यदि संविदा से संबंधित विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो परस्पर परामर्श से मामले को सुलझाया जायेगा तथा यदि विवाद नहीं सुलझता है तो मामले को सी.आई.एस.एच. लखनऊ के निदेशक द्वारा नियुक्त विवाचक को प्रेषित किया जायेगा। सी.आई.एस.एच., लखनऊ के निदेशक द्वारा नियुक्त विवाचक का निर्णय अंतिम तथा सभी पार्टियों के लिये बाध्य होगा। विवाचक की कार्यवाही आरबीट्रेशन एण्ड कौन्सटीट्यूशन अधिनियम 1966 द्वारा शासित होगी।
- 19. संस्थान द्वारा स्वीकृति को फैक्स या संचार के किसी अन्य माध्यम के द्वारा बताया जायेगा। निविदा से संबंधित औपचारिक स्वीकृति पत्र तथा कार्य का आदेश भी शीध्रति शीघ्र अग्रेषित की जायेगी किन्तु फैक्स, पत्र आदि से प्रेषित अनुदेशों का तत्काल पालन करना होगा।
- 20. यह संविदा प्रारंभ में एक वर्ष के लिये लागू होगी। संविदा की अवधि में परिवर्तन किया जा सकता है जिसका अधिकार सक्षम प्राधिकारी महोदय को होगा।
- 21. संस्थान में जनसूचना कानून अधिनियम 2005 लागू है। अतः जो भी सूचना उपलब्ध करायी जाएगी उसको प्रकट किया जा सकता है।

- 22. सफल बोली लगाने वाले निविदाकार को संस्थान को सेवा उपलब्ध कराते समय न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, बाल श्रमिक अधिनियम तथा श्रम अधिनियम के सभी उपबंधों का पालन करना होगा।
- 23. सफल निविदाकार को लागू होने वाले ई.एस.आई. तथा ई.पी.एफ. के अधिनियमों का भी पालन करना होगा। संस्थान की आवश्यकता होने पर यहाँ कार्यरत स्टाफ का ई. एस.आई तथा ई.एस.आई. एवं ई.पी.एफ. कार्यालयों में जमा की गयी राशि की पावती संख्या भी संस्थान को उपलब्ध करानी होगी।
- 24. सफल निविदाकार को 100 रूपये के गैर—न्यायिक स्टाम्प पर सी.आई.एस.एच. से विस्तृत ठेका करार करना होगा।
- 25. ठेकेदार द्वारा अपने स्टाफ को दी जाने वाली मजदूरी राज्य सरकार / केन्द्र सरकार के न्यूनतम श्रम मजदूरी अधिनियम से गवर्न्ड करना होगा।
- 26. निविदा प्रपत्र के साथ अनुलग्न होने वाले दस्तावेज जो तकनीकी बोली का हिस्सा होंगे को निविदा दस्तावेज के संलग्नक—3 में दिखाया जायेगा।
- 27. 100 रूपये के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर समझौता, निष्पादन सुरक्षा राशि का जमा किया जाना (10 प्रतिशत कुल ठेका मूल्य का) जैसे कोडल फारमैलिटीज के पश्चात ही कार्य निष्पादन प्रारंभ करना होगा।
- 28. संविदाकार को प्रत्येक तिमाही में संस्थान द्वारा चार्ज किये गये सेवा कर को तिमाही रिटर्न के माध्यम से अवश्य जमा करना होगा।
- 29. निविदा दाता को निविदा के साथ निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक होगा :—
- i) ठेके के आधार पर उ०प्र० सरकार/भारत सरकार के अधीन कार्य करने का पंजीकरण प्रमाण पत्र ।
- ii) पिछले वित्तीय वर्ष में रु० 50,00,000-00 का टर्न ओवर से कम नहीं होना चाहिए।
- iii) सम्बन्धित फील्ड में केन्द्र सरकार/भारत सरकार के स्वायत्त संस्थानों/भारत सरकार के निगमों/सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों में पिछले तीन वर्षो में लगातार कार्य करने का अनुभव ।
- iv) सम्बन्धित फील्ड में पिछले तीन वर्षो में किये गये कार्यो की बैलेन्स शीट की प्रमाणित प्रति जो कि चार्टड एकाउन्टेन्ट द्वारा जारी की गयी हो ।
- v) सम्बन्धित क्षेत्र में पिछले तीन वर्षो में संस्थानों में किये गये कार्यो को संतोषजनक रुप से सम्पादित करने का प्रमाण पत्र ।
- vi) सम्बन्धित सरकार/विभाग द्वारा जारी इम्पलाइज ई०पी०एफ० पंजीकरण प्रमाण पत्र।
- vii) सम्बन्धित सरकार/विभाग द्वारा जारी इम्पलाइज ई०एस०आई पंजीकरण प्रमाण पत्र।
- viii) सम्बन्धित सरकार/विभाग द्वारा जारी इम्पलाइज ई०एस०आई पंजीकरण प्रमाण पत्र।
- ix) सरकार द्वारा जारी सेवा कर पंजीकरण प्रमाण पत्र ।
- x) ठेकेदार के पास केन्द्रीय श्रम आयुक्त द्वारा जारी केन्द्रीय श्रमिक अधिनियम 1970 के अन्तर्गत जारी प्रमाण पत्र की प्रति।

- xi) सम्बन्धित निविदा दाता को रु० 100 / के नान जुडीशियल स्टैम्प पेपर पर इस आशय का घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनके विरुद्ध माननीय न्यायालय में कोई अपराधिक / फौजदारी अथवा अन्य किसी भी प्रकार का न तो कोई मामला चल रहा है अथवा न हीं लिम्बित है।
- xii) उसी निविदादाता को वित्तीय बोली में सम्मिलित किया जायेगा जो तकनीकी बोली में उपयुक्त पाये जायेगें।
- xiii) पूर्ण निविदा प्रपत्र निदेशक, आई.सी.ए.आर.—सी.आई.एस.एच. ,रहमानखेड़ा, पो०— काकोरी, लखनऊ —226101 के पते पर भेजा जावे ।
- 30. अंग्रेजी अथवा हिन्दी के निविदाओं में यदि विरोधाभाष पाया जाता है तो अंग्रेजी के निविदा को अंतिम माना जावेगा ।

भवदीय,

सहायक प्रशासनिक अधिकारी

कृते निदेशक सी.आई.एस.एच. लखनऊ की ओर से

भा.कृ.अनु.परि.— केन्द्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान के रहमानखेड़ा एवं रायबरेली रोड परिसरों एवं के.उ.बा.सं.— आर.आर.एस. माल्दा (पश्चिम बंगाल) में मिसलेनियस आऊटर्सोसिंग कार्य को ठेका पर करवाने सम्बन्धी वार्षिक ठेका कोटेशन

पूरा नाम तथा निविदादाता का पता पोस्ट बॉक्स संख्या सहित (यदि कोई पोस्ट बॉक्स संख्या है तो कार्यालय से किये गये सभी संचार में उसको उद्धरित किया जाना चाहिये)

`						
দ্ৰ	न	न ·				
-1/		1				

टेलीग्राफिक पता / फैक्स / मो.नंः

ई-मेल का पताः

प्रेषिती	
सेवा में	
	भा.कृ.अनु.प.–केन्द्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान
	रहमानखेड़ा पोस्ट काकोरी,
	लखनऊ 226101

महोदय.

मैंने / हमने केन्द्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान रहमानखेड़ा तथा रायबरेली रोड परिसर एवं के.उ.बा.सं.— आर.आर.एस. माल्दा (पश्चिम बंगाल) में किये जाने वाले मिसलेनियस आऊटर्सोसिंग कार्य से संबंधित सामान्य सूचना तथा अन्य निबंधन एवं शर्तों के ब्योरों को पढ़ा है तथा अनुसूची में दिये गये विस्तृत सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिये तैयार है। उद्धृत दर संविदा संबंधी कार्य अवार्ड करने से एक वर्ष की अविध तक मान्य होगा। मैं / हम लिखित समय में प्रेषित किये गये संचार से स्वीकृति के लिये बाध्य होंगे।

- मैं / हमने संविदा से संबंधी निबंधन एवं शर्तों को समझ लिया है तथा इन अपेक्षाओं के अनुसार सर्वश्रेष्ठ सेवा उपलब्ध करायेंगे।
- 3. इस निविदा के प्रारूप में निम्नलिखित पृष्ठों को जोड़ा गया है। अनुसूची एक तथा दो जो इस निविदा के साथ संलग्न है को पृष्ठ संख्या..............में जोड़ा गया है।
- 4. इस निविदा से संबंधित सभी पृष्ठों पर मेरा हस्ताक्षर तथा कार्यालय का मोहर विद्यमान है।

5. आई.सी.ए.आर यूनिट सी.आई.एस.एच लखनऊ को देय	रू0 वाले पेय आर्डर / डी.
डी नं0 को बयाना राशि के रूप में अनुलग्न किया गया है	I
	भवदीय
दिनांकः	
	निविदाकार का हस्ताक्षर तथा सील
गवाह	
	कार्यालय का टेलीफोन नं0
पता	
	आवास
व्यवसाय	
	मोबाईल सं0
संविदाकार के हस्ताक्षर के साक्षी हस्ताक्षरकर्ता	
पता	
गवाह का नाम एवं हस्ताक्षर	
पता	

संलग्नक −1

न्यूनतम 3 वर्षो के अनुभव / किये गये कार्यों का विवरण

क्र.	विभाग / संगठन का नाम तथा	अवधि		कार्य कर	अभ्युक्ति
सं.	संपर्क किये जाने वाले व्यक्ति			रहे	
	का नाम फोन नं. सहित			कर्मचारियों	
				की संख्या	
		से	तक		

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

निविदाओं की अनुसूची

भाग - 1

- 1. फर्म / एजेंसी का नाम
- पोस्ट बॉक्स नं तथा टेलीफोन नं. यदि कोई हो के साथ पूरा पता
- 3. फर्म / एजेंसी का संगठन (संलग्न प्रतिलिपि)
- क) भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956
- ख) भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 (कृपया भागीदारों के नाम दे)
- ग) किसी अन्य अधिनियम, अगर नहीं, मालिकों
- 4. साझेदारी फर्म जो भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 के तहत पंजीकृत किये गये हैं। कृपया वर्णन करें कि क्या निविदा पर हस्ताक्षर करने वाले साझेदारी समझौता साथी को जानकारी दी है।
- i) यदि ऊपर का जवाब नकारात्मक है तो क्या सभी भागीदारों द्वारा किसी साझेदारी को जिसने निविदा पर हस्ताक्षर किये हैं को मुख्तारनामा की सामान्य शक्तियाँ दी गयी हैं ताकि विवाद की स्थिति में विवाचन के लिये विचारार्थ भेज सके ।
- ii) ऊपर का जवाब यदि बिंदु एक और दो में है तो हस्तक्षरकर्ता साझेदारी समझौता या मुख्तारनामा की सामान्य शक्तियाँ की एक प्रति प्रस्तुत करे। साझेदारी समझौते की प्रतिलिपि नोटरी द्वारा सत्यापित की हुई होनी चाहिए या इसके सभी साझेदारों द्वारा मुहर लगी कागज पर शपथ पत्र के साथ निष्पादन किया हुआ होना चाहिए। 5 भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के आदेश संख्या 1 (1)/2011/टी.ए./292 दिनांक 31. 03.2012 के अनुसार 25,000.00 रुपये से अधिक के लिए ई—भुगतान अनिवार्य है। इसलिए निम्नलिखित जानकारियाँ प्रदान की जानी जरुरी है।

- क) नाम और अपने बैंकर का पूरा पता
- ख) फर्म के बैंक खाता सं.
- ग) बैंकर का आई.एफ.एस.सी. कोड संख्या
- 6. अपने स्थायी आयकर (पैन) संख्या / सर्किल / वार्ड
- 7. कोई भी अन्य प्रासंगिक जानकारी
- 8. सेवा कर पंजीकरण सं.
- 9. टिन नं

भाग द्वितीय

10 बयाना पैसे जमा : हां / नहीं

भाग - III

- 11. नाम और फर्म के प्रतिनिधि का पता और क्या फर्म में प्रतिनिधित्व निविदाएं खोलने के समय उपलब्ध होंगे।
- 12. स्थायी प्रतिनिधि का नाम जो भा.कृ.अनु.प.—केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, लखनऊ के रायबरेली रोड परिसर तथा रहमानखेड़ा स्थित ब्लॉक 1, 2, 3 तथा 4 एवं के.उ.बा.सं.— आर. आर.एस. माल्दा (पश्चिम बंगाल) में ठेका के कार्य के सिलसिले में आते जाते रहेंगे। (रहमानखेड़ा और आर.बी. रोड कैम्पस एवं के.उ.बा.सं.— आर.आर.एस. माल्दा (पश्चिम बंगाल) के लिए अलग से दिया जा सकता है)

दिनांक	:
स्थान :	

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

कृपया अनुपूरक पृष्ठों को जोड़ें जहाँ भी निविदाकर्ता द्वारा जरूरत समझा जाये।

निष्पादन किये जाने वाले कार्य

भा.कृ.अनु.परि.— केन्द्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान के रहमानखेड़ा एवं रायबरेली रोड परिसरों एवं के.उ.बा.सं.— आर.आर.एस. माल्दा (पश्चिम बंगाल) में मिसलेनियस आऊटर्सोसिंग कार्य को ठेका पर करवाने सम्बन्धी वार्षिक ठेका कोटेशन

अ- निष्पादित किये जाने वाले अति कुशल / कुशल कार्यो का विवरण ।

- 1- कम्प्यूटर आपरेशन / टंकर एवं अन्य कार्यालय सहायता सेवायें ।
 - (i) अनुभागों / प्रभागों का आवश्यकतानुसार हिन्दी / अंग्रेजी कम्प्यूटर टाइपिंग का कार्य।
 - (ii) डाटा बेस तैयार करना एवं उस पर कार्य करना ।
 - (iii) विभिन्न सूचनाओं को कम्प्यूटर में प्रविष्टि करना प्रसंस्करण करना ।
- (iv) विभिन्न प्रकार के अग्रिमों जैसे जी0पी0एफ0, चिकित्सा, यात्रा रियायत, यात्रा भत्ता, वतेन बिलों आदि के प्रसंस्करण में सहायता प्रदान करना ।
 - (v) रेट कान्ट्रेक्ट सम्बन्धी रसायन, ग्लासवेयर की खरीद तथा उपकरण की खरीद में सहायता करना । खर्चे का विवरण तैयार करना एवं स्टाफ के अवकाश सम्बन्धी मामले देखना ।
- 2. स्वागत कक्ष सेवायें: कम्प्यूटर पर प्रतिदिन आने वाले अतिथियों की प्रविष्टि करना तथा अति विशिष्ट अतिथियों का स्वागत अथवा अन्य कार्य जो कि नोडल अधिकारी / नामित अधिकारी द्वारा समय समय पर दिया जायेगा ।
- 3. कार / मिनी बस / बस / ट्रक / ट्रेक्टर आदि चलाने सम्बन्धी सुविधायें अथवा अन्य कार्य जो कि नोडल अधिकारी / नामित अधिकारी द्वारा समय समय पर दिया जायेगा (वाहन चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस हाना चाहिए) ।
- प्रयोगशाला तकनीशियन सम्बन्धी सेवायें:
 - (i) शोध कार्यो में वैज्ञानिकों कों तकनीकि सहायता प्रदान करना तथा प्रयोगशाला सम्बन्धी समय—समय पर आवंटित व्यवहारिक कार्य करना ।
 - (ii) दिन प्रतिदिन के ग्लासवेयर एवं प्लास्टिकवेयर को धुलने उन्हें बिसंक्रमण करना तथा प्रयोगशाला टेबल आदि की सफाई करना ।
- (iii) शोध सम्बन्धी पौधों की देखभाल एवं सम्भालने सम्बन्धी कार्य तथा आवश्यकता के अनुसार अन्य शोध एवं अध्यापन सम्बन्धी कार्य ।
- (iv) वैज्ञानिकों को व्यवहारिक,प्रयोगशाला की सफाई, नमूने को एकत्र करने, ग्लासवेयर के बिसंक्रमण, उपकरणों की देखभाल, रसायन की माप एवं अन्य समस्त कार्य जो कि वैज्ञानिकों, नोडल अधिकारी अथवा नामित अधिकारी द्वारा समय–समय पर आवंटित कार्य ।
- 5. फील्ड गणक / डाटा इंट्री आपरेटर / डाटा कलेक्टर सम्बन्धी सेवायें : किसानों के पास विजिट कर सेर्वे,डाटा कलेक्शन कार्य, डाटा इंट्री एवं डाक्यूमेंटेंशन सम्बन्धी कार्य ।
- 6. **इलैक्ट्रीशियन / रेफ्रेजिरेशन / मेसनरी / प्लम्बरिंग सेवायें**: अभियांत्रिकी अनुभाग से समन्वय रखते हुए रहमान खेडा एवं आर0बी0रोड कैम्पस पर प्राप्त शिकायतों के आधार पर मरम्मत एवं रखरखाव सम्बन्धी कार्य एवं उसमें सहायता

प्रदान करना एवं इस प्रकृति के अन्य कार्य तथा नोडल अधिकारी अथवा नामित अधिकारी द्वारा समय—समय पर आवंटित कार्य ।

इलैक्ट्रीशियन – प्रति दिन की दर पर

रेफ्रेजिरेशन – आवश्यकता के अनुसार

मेसनरी – आवश्यकता के अनुसार

लम्बरिंग – आवश्यकता के अनुसार

7- जी.सेट सेवायें (जनरेटर आपरेटर)

24 घंटे जनरेटर सेवा प्रदान करने हेतु 250,125,62 के.वी.ए. का डी.जी.सेट सी. आई.एस.एच.,रहमानखेडा एवं क्षेत्रीय शोध केन्द्र, माल्दा(वेस्ट बंगाल) में चलाने का कार्य

1- विद्युत सेवा फेल होने के एक मिनट के अन्दर जनरेटर चलाना ।

- 2— अनुभवी जनरेटर आपरेटर की सेवा उपलब्ध कराना जो कि पी.टी. पम्प एवं फ्यूल लाइन से हवा रिलीज कर सके i
- 3. बैट्री एवं रेडियेटर में डिस्टिल्ड वाटर चैक करना, टैंकी में आयल,डीजल नियमित रुप से चैक करने का कार्य दी जाने वाली सेवाओं में सम्मिलित होगा ।
- 4. बैट्री टर्मिनल की नियमित रुप से सफाई करना ।
- 5— पी.ओ.एल. एवं अन्य पार्ट जो आवश्यक होगा विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जावेगा ।
- 6— यदि ठेकेदार द्वारा कराये जा रहे कार्य के दौरान जनरेटर का आपरेशन गलत ठंग से करने पर जो नुकसान हागा उसे ठेकेदार द्वारा स्वयं ठीक कराना होगा अथवा बदलना होगा ।
- 7. जनरेटर रुम में किसी भी प्रकार की पी.आ.एल. की चोरी अथवा सामान की चोरी का पूर्ण उत्तरदायित्व ठेकेदार का होगा ।

ब- निष्पादित किये जाने वाले अर्ध कुशल/अकुशल कार्यो का विवरण ।

- 1. तकनीकि सहायक सम्बन्धी सेवायें ।
 - (i) तकनीशियनों को कार्य में सहयोग / सहायता प्रदान करना एवं नोडल अधिकारी अथवा नामित अधिकारी द्वारा समय-समय पर आवंटित कार्य ।
 - (ii) अनुभागों में पत्रावलियों का रख रखाव एवं उन्हें व्यवस्थित रुप से सम्भालना ।
 - (iii) पत्रों / परिपत्रों की फोटो कापी करना एवं आवश्यकतानुसर उनका सैट तैयार करना ।
 - (iv) वरिष्ठ अधिकारियों / अनुभागों में स्टाफ के लिये चाय / पानी आदि लाना ।
- (v) संस्थान के केन्द्रीय भण्डार अथवा अन्य स्थान जो भी नोडल अधिकारी द्वारा बताया जाये वहाँ से अनुभाग के लिये स्टेशनरी अथवा अन्य सामान लाना ।
- (vi) उपरोक्त सेवाये प्रति दिन सोमवार से शनिवार तक जिसमें द्वितीय शनिवार शामिल नहीं है प्रातः 9.30 बजे से 4.30 बजे तक देना होगा । कभी अकिस्मकता को देखते हुए रिववार अथवा कार्य अविध के उपरान्त अथवा अवकाश के दिनों में भी सेवायें ली जा सकती हैं ।
- (vii) नोडल अधिकारी / नामित अधिकारी द्वारा सफाई एवं रख रखाव सम्बन्धी कार्य की प्रकृति आवंटित की जावेगी ।

2.. गैस्ट आउस अटैन्डेन्ट सम्बन्धी सेवायें ।

प्रतिदिन कमरे, फर्नीचर,कारपेट, एवं अन्य वस्तुओं का रख रखाव एवं सफाई कार्य एवं इस प्रकृति के अन्य कार्य जो नोडल अधिकारी अथवा नामित अधिकारी द्वारा समय—समय पर आवंटित किये जावें ।

3. श्रमिक सेवायें

- (i) आवश्यकतानुसार अनुभागों से सम्बन्धित शारीरिक श्रम सम्बन्धी कार्य ।
- (ii) आदेश में दिये गये समस्त सफाई एवं रख रखाव सम्बन्धी कार्य सम्पादित करना
- (iii) समय समय पर दिये जाने वाले समस्त सामान्य कार्य ।
- (iv) श्रिमकों द्वारा समय समय पर शोध सेड में समस्त अधीनस्थ कार्यो का सम्पादन एवं रख रखाव तथा अनुभागों प्रभागो में सफाई सम्बन्धी कार्य अथवा नोडल अधिकारी अथवा नामित अधिकारी द्वारा समय—समय पर आवंटित कार्य ।

लैब अटेंडेंट सम्बन्धी सेवायें

वैज्ञानिकों को दिन प्रतिदिन के शोध कार्यों को सुचारु रुप से सम्पादित करने में सहायता प्रदान करना तथा अन्य कार्य जो कि नोडल अधिकारी अथवा नामित अधिकारी द्वारा समय—समय पर आवंटित किया जावेगा।

निबंधन एवं शर्ते

- 1. भा.कृ.अनु.प.—केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, लखनऊ के रायबरेली रोड तथा रहमानखेड़ा स्थित परिसरों एवं के.उ.बा.सं.— आर.आर.एस. माल्दा (पश्चिम बंगाल) में किये जाने वाले मिसलेनियस आऊटर्सोसिंग कार्य का निष्पादन संस्थान की सम्पत्ति को बिना किसी क्षिति के किया जाना है। यदि, ठेकेदार के द्वारा तैनात किसी श्रमिक से क्षिति होती है, तो उसकी क्षितिपूर्ति ठेकेदार द्वारा की जायेगी। क्षिति का प्राक्कलन निदेशक, भा.कृ.अनु.प.—केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, लखनऊ द्वारा किया जायेगा। ठेकेदार को क्षितिपूर्ति की वसूली के लिए सहमत होना पडेगा।
- 2. कार्य क्षेत्र— कार्य क्षेत्र जो कि सिड्यूल ।।। ए में दर्शाया गया है । इसके अतिरिक्त यदि कोई छोटा कार्य सक्षम अधिकारी द्वारा दिया जाता है तो उसे बिना किसी भुगतान के सम्पादित करना होगा ।
- 3.मिसलेनियस आऊटर्सोसिंग कार्यो से सम्बन्धित, कर्मियों की वर्दी ठेकेदार को अपने स्तर से मॉग के अनुरुप उपलब्ध करानी होगी।
- 4 .संस्थान की पूर्व लिखित अनुमित के बिना ठेकेदार अनुबंध के आधर पर दिये हुए कार्य को उप–िकरायेदार को नहीं दे सकता है।
- 5. सेवा कार्यो का भुगतान पूर्व रसीदी बिल को मासिक रुप से जमा करने के बाद ही किया जाएगा।
- 6. संस्थान के रायबरेली रोड परिसर तथा रहमानखेड़ा एवं के.उ.बा.सं.— आर.आर.एस. माल्दा (पश्चिम बंगाल) स्थित सभी ब्लॉकों के लिये सेवा कार्य दिये जा सकते हैं।
- 7 .ठेकेदार को अपने सभी कर्मियों के लिये यातायात की व्यवस्था अपने स्तर से करनी होगी तथा कार्यस्थल पर कार्य से सम्बन्धित जरुरी सामान लाने एवं निस्तारण योग्य सामान को अधिकृत स्थल पर डालने की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी जिसकी लिये उन्हें संस्थान द्वारा कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जायेगा ।
- 8. एजेंसी 21 से 40 वर्ष के आयु समूह के मजबूत, स्वास्थ्य और स्वच्छ रिकॉर्ड वाले अच्छे और विश्वसनीय लोगों को रोजगार पर लगाये। इस मामले में यदि कोई कार्मिक किसी भी प्रकार से उपयुक्त नहीं पाया जाता है, तो संस्थान को बिना कोई कारण बताये उनकी प्रतिस्थापन के लिए पूछने का अधिकार होगा और एजेंसी को लिखित संचार की प्राप्ति पर ऐसे व्यक्तियों को तत्काल बदलना होगा होगा।
- 9. भा.कृ.अनु.प.—केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, लखनऊ के रायबरेली रोड परिसर तथा रहमानखेड़ा स्थित परिसर एवं के.उ.बा.सं.—आर.आर.एस. माल्दा (पश्चिम बंगाल) के लिये अलग—अलग कार्य दरों का उद्धृरण करना होगा जिसमें प्रत्येक मानवश्व्यक्ति, यातायात आदि पर होने वाले व्यय को भी ध्यान में रखना होगा। संस्थान ई.पी.एफ. योगदान, ई.एस.आई. योगदान, वर्दी, अन्य पहनावे, ओ.टी.ए. आदि के लिए कोई अतिरिक्त खर्च वहन नहीं करेगा।
- 9(ए) ठेकेदार को उनके द्वारा लगाये गये प्रत्येक कर्मियों को वैध परिचय पत्र जारी करना होगा जिससे कि उसे संस्थान परिसर में प्रवेश मिल सके । प्रत्येक कर्मी को अपना परिचय पत्र संस्थान में प्रवेश करते समय एवं संस्थान से बाहर जाते समय दिखाना आवश्यक होगा ।

- 10. ठेकेदार श्रमिकों के संबंध में सभी अपने कानूनी दायित्वों का निर्वहन करेगी जिसमें उन्हें नियोजित किया जाना / उनके वेतन और सेवा शर्तों के संबंध मे / कार्य के निष्पादन के लिए उसके द्वारा तैनाती / सभी नियमों और विनियमों और कानून के प्रावधानों का अनुपालन जो कि सेवा में समय—समय पर उन पर लागू हो सकता है। ठेकेदार क्षतिपूर्ति करने , किसी भी दाव में, हानि या नुकसान के विभिन्न पहलुओं पर कानूनों के तहत दायित्वों का पालन करेगा तथा जो किसी भी विफलता के कारण यह करने के लिए कारण हो सकता है जिसके लिये वह परिषद को इसकी क्षतिपूरित करेगा। किसी भी विवाद के मामले में संस्थान के निदेशक का निर्णय अंतिम और ठेकेदार पर बाध्यकारी होगा।
- 11. चयनित एजेंसी भारत सरकार / उत्तर प्रदेश / पश्चिम बंगाल सरकार के श्रम कानून के अनुसार संस्थान के रायबरेली रोड परिसर तथा रहमानखेड़ा स्थित परिसर एवं के.उ.बा.सं.— आर.आर.एस. माल्दा (पश्चिम बंगाल) के लिये अलग—अलग आवश्यक कार्मिको को तैनात करेगी।
- 12. ठेकेदार सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस प्रयोजन के लिए नामित एक अधिकारी की उपस्थिति में संस्थान के परिसर में अगले महीने की 7 तारीख तक उसके द्वारा लगे कर्मियों को चैक द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अनुसार ठेकेदार को मजदूरी का भुगतान करना होगा, तािक वहाँ तैनात कर्मियों के कर्तव्यों के प्रदर्शन में कोई व्यवधान न हो । मजदूरी , न्यूनतम मजदूरी अधिनियम और एक साथ सरकार द्वारा लागू वैधानिक अधिनियमों के अनुसार भुगतान किया जाना चािहए जो पश्चिम बंगाल / उत्तर प्रदेश के द्वारा समय—समय पर लागू हो । संस्थान के पास समय समय पर तैनात कर्मियों को उसके द्वारा किए गए मजदूरी के भुगतान की स्थिति की जाँच करने के लिए अधिकार सुरक्षित है।
- 13. निविदा दस्तावेज़ के सभी पृष्ठों पर विधिवत रुप से हस्ताक्षर किए होने चाहिए। तकनीकी बोली और वित्तीय बोली को अलग—अलग लिफाफों में प्रेषित किया जाना अनिवार्य है जिनके ऊपर स्पष्ट अक्षरों में तकनीकी बोली और वित्तीय बोली लिखा होना चाहिये अन्यथा निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
- 14. यह संस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आता है। अतः बोली करने वाले से संबंधित सभी जानकारियों का सूचना का अधिकार अधिनियम के अर्न्तगत खुलासा किया जा सकता है।
- 15. फर्म द्वारा तैनात कर्मियों के लिए संस्थान द्वारा कोई आवास / जगह प्रदान नहीं किया जाएगा।
- 16. कार्य स्थल पर यदि ठेकेदार के किसी कर्मी की दुर्घटना होने, मृत्यु होने आदि की पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित ठेकेदार की होगी तथा ठेका समाप्त होने के उपरान्त भी इस तरह के कर्मियों का पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित ठेकेदार का होगा ।
- 17. संस्थान परिसर में कार्य के दौरान उनके द्वारा लगाये गये कर्मियों का उनकी गलती से किसी भी प्रकार की घटना या र्दुघटना घटित होती है तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी तथा मामले को पुलिस / न्यायालय से निपटाने की पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की ही होगी।
- 18. आउटसोर्सिंग कार्य के आबंटन संबंधी अधिसूचना जारी होने के 21 दिनों के अन्दर, ठेकेदार को निष्पादन सुरक्षा—केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान के बागवानी से संबंधी

मिसलेनियस आऊटर्सोसिंग कार्यों में आने वाली कुल अनुबंधित मूल्य का 10 प्रतिशत राशि कार्यालय में जमा करवानी होगी।

- 19. आपूर्तिकर्ता से हुए किसी भी नुकसान की प्रतिपूर्ति लिए तथा यदि वह अनुबंध के दायित्व की पूरा करने में विफल होता है तो निष्पादन सुरक्षा से मुआवजा वसूल किया जाएगा।
- 20. निष्पादन सुरक्षा— मिसलेनियस आऊटर्सोसिंग कार्य भारतीय रुपए में जमा किया जाएगा। इसे निम्नलिखित में से किसी एक तरीके से किया जा सकता है।
- (अ) किसी भी अनुसूचित बैंक का डिमांड ड्राफ्ट/पे आर्डर जो आई.सी.ए.आर. यूनिट सी.आई. एस.एच. के पक्ष में लखनऊ में देय हो।
- (ब) निर्धारित प्रपत्र पर अनुसूचित बैंक द्वारा जारी बैंक गारंटी।
- 21. निष्पादन सुरक्षा— मिसलेनियस आऊटर्सोसिंग कार्य सी.आई.एस.एच. द्वारा रखा जाएगा और संतोषजनक ढंग से संविदात्मक दायित्व के पूरा होने पर ठेकेदार को लौटा दिया जायेगा।
- 22. मजदूरी अगले महीने की 7 तारीख को या उससे पहले भा.कृ.अनु.प.—केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, लखनऊ के रहमानखेडा या रायबरेली रोड स्थित परिसर एवं के.उ.बा.सं.— आर.आर.एस. माल्दा (पश्चिम बंगाल) में संस्थान के प्राधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में वितरित की जाएगी। संस्थान के अधिकृत प्रतिनिधि को ठेका श्रम (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 के रूप में प्रत्येक मजदूर को मजदूरी के संवितरण को प्रमाणित करना होगा।
- 23. निविदाकार को प्रत्येक माह के पश्चात अगले माह की 10 तारीख के उपरान्त बिलों को जमा करना होगा। बिलों के साथ उस माह के मजदूरी के भुगतान की प्रतिलिपि व पिछले महीने का सर्विस टैक्स, ई.पी.एफ जमा के चालानों की प्रतिलिपि भी संलग्न करनी होगी। यदि इस उद्देश्य के लिए निर्धारित सेवा कार्य प्राधिकृत अधिकारी के अनुसार संतोषजनक पायी जाएगी तो दिनांक 31.03.2012 को भारत सरकार के गृह मंत्रालय के आदेश सं. 1(1)/2011/टी ए /292 से जारी अनुदेश के अनुसार ई—पेमेंट द्वारा किया जाएगा। यदि निर्धारित कार्य प्राधिकृत अधिकारियों के अनुसार संतोषजनक नहीं पूरी की जाएंगी तो निदेशक, भा.कृ.अनु.प.—केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, लखनऊ के विवेक के अनुसार काट ली जाएगी। निदेशक का यह निर्णय अंतिम होगा तथा निविदाकार को मान्य होगा।
- 24. निविदाकार अपने कर्मचारियों के वेतन और अन्य सेवा शर्तों के संबंध में सभी कानूनी दायित्वों का निर्वहन करने के लिए जिम्मेदार होंगे और साथ ही समय—समय पर उन पर लागू होने वाले ठेका श्रम (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम ईपीएफ एवं एम.पी. अधिनियम, औद्योगिक विवाद अधिनियम आदि सभी नियम और विनियमन के कानून के प्रावधानों का अनुपालन करेंगे। ठेकेदार को भा.कृ.अनु. प.—केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, लखनऊ को अनुबंध के आधार पर निर्धारित कार्यों के पालन में वैधानिक दायित्व अर्थात विभिन्न कानूनों के तहत अपने दायित्व का पालन न करने के लिए ठेकेदार की विफलता के कारण विफल होने से संस्थान को होने वाली हानियों या क्षति संबंधी दावों की पूर्ति करने के लिए सहमत होना पड़ेगा।
- 25. किसी भी स्थिति में निविदाकार द्वारा उपलब्ध कराये गये श्रमिक केन्द्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान के कर्मचारी समझे या माने नहीं जायेगें तथा एजेंसी / निविदाकार द्वारा नियुक्त सभी

श्रमिकों की पारिश्रमिकी सेवा संबंधी लाभ तथा कल्याण के लिए निविदाकार स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।

- 26. किसी भी परिस्थिति में संस्थान दोनों पक्षों के अनुबंध संबंधी देनदारी के अलावा किसी अतिरिक्त वित्तीय के प्रति देनदार होगा। किसी भी आकस्मिकता की स्थिति में केन्द्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, लखनऊ के पास बिना किसी सूचना के अनुबंध को नोटिस के तत्काल प्रभाव से रद्द करने का अधिकार होगा तथा ठेका एजेंसी को समझौता को रद्द किये जाने से हुई धनराशि संबंधी क्षति के प्रति देनदारी नहीं होगी।
- 27. यदि दोनों समझौता पक्षों के बीच किसी भी प्रकार का प्रश्न या विवाद अर्थ या समझौतों का खंड या देनदारियों के अधिकार से संबंधित उत्पन्न होता है तो उस प्रश्न या विवाद को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद / केन्द्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान द्वारा नियुक्त विवेचक के समक्ष लाया जायेगा। दिये गये कार्य विवाचन के उपबंधों तथा भारत में लागू होने वाले सुलह अधिनियम 1996 के अनुसार होंगे जो दोनों पक्षों के लिए बाध्यकारी होगा।
- 28. ठेकेदार द्वारा तैनात श्रमिक संस्थान स्टाफ के साथ सामाजिक संबंध विकसित नहीं करेगा।
- 29. ठेकेदार द्वारा श्रमिक को मिसलेनियस आउटसोर्सिंग कार्य करने के लिए प्रत्येक आवश्यक वस्तुओं / संबंधित वस्तुओं को उपलब्ध कराना होगा ।
- 30. संस्थान को पूर्ण अधिकार होगा कि यदि किसी भी स्तर पर उसके द्वारा मिस आउटसोर्सिंग कार्य से सम्बन्धित कार्य के लिये संस्थान द्वारा उल्लिखित किसी भी शर्तो का उल्लंघन ठेकेदार द्वारा किया जाता है तो संस्थान उसका अनुबन्ध समाप्त कर सकता है।
- 31. सफल ठेकेदार का ठेका अनुबन्ध प्रथम बार में ठेका प्रदान करने से 12 माह के लिये होगा जिसे संस्थान के सक्षम अधिकारी द्वारा अगले एक वर्ष तक बडाने पर विचार किया जा सकता है जिस प्रकार ठेका अविध 2 वर्ष से अधिक नहीं होगा जिसके समस्त नियम एवं शर्तो पर दोनों पक्षों की सहमति आवश्यक होगी ।
- 32. यदि ठेकेदार की ठेका अविध में संस्थान को किसी भी प्रकार की क्षिति चोरी अथवा अन्य किसी भी प्रकार से होती है तो सम्बन्धित ठेका अनुबन्ध बिना पूर्व कारण बताये हुये समाप्त करने का अधिकार संस्थान को होगा तथा संस्थान हो हुये नुकसान की भरपायी सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा किया जायेगा ।
- 33. ठेका अनुबन्ध समाप्त होने के तुरन्त बाद ठेकेदार एवं उनके कर्मचारियों को संस्थान परिसर शान्तिपूर्वक छोड़ना होगा तथा संस्थान द्वारा उपलब्ध सामान,फर्नीचार आदि जो कि संस्थान से सम्बन्धित हो लिखित रुप में वापस करना होगा तथा यदि उनके द्वारा अपने किसी सामान का किसी स्थल पर भण्डारण किया गया है तो उसे तत्काल हटाना होगा । ठेकेदार द्वारा ऐसा न करने की स्थिति में संस्थान को पूर्ण अधिकार होगा कि वह ठेकेदार का स्टोर हटा दे एवं उपलब्ध वस्तु को निस्तारित कर दे अथवा बेच दे जिस पर ठेकेदार का कोई क्लेम नहीं होगा ।
- 34. यदि ठेकेदार का कोई कर्मी / स्टाफ दिन प्रतिदिन के अपने उत्तरदायित्वों की पूर्ति करने में किसी भी स्तर पर असफल होता है अथवा संस्थान की नजर में किसी भी कारणवश कार्य संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो संस्थान को पूर्ण अधिकार होगा कि इस कारण से संस्थान

को होने वाली आर्थिक हानि की भरपायी का आंकलन करके ठेकेदार को भुगतान किये जाने वाले उसके बिल से इसकी भरपायी करे । 35. हिन्दी एवं अंग्रेजी की निविदा में अंकित शर्तो में यदि कोई विरोधाभाष पाया जाता है तो अंग्रेजी में अंकित शर्तो को अंतिम माना जायेगा ।

जुर्माना खंड/नष्ट हर्जाना खंड

- क. दिये गये कार्या के विश्वसनीयता पूर्वक अनुपालन के लिए ठेकेदार जिम्मेदार होगा। किसी प्रकार के उल्लंघन या कार्य की सफलतापूर्वक निष्पादन की विफलता के कारण कार्य आबंटन को रदद कर सुरक्षा राशि जब्त कर ली जायेगी।
- ख. प्रत्येक दिन के हर्जाने के रूप में 500 रुपये की राशि लगायी जायेगी। जब भी और जहां भी यह पाया जाता है कि किसी भी स्थान पर किया गया कार्य संतोषजनक नहीं है

तो उसे संस्थान द्वारा फर्म के पर्यवेक्षी कर्मचारी के ध्यानार्थ लाया जाएगा और अगर कोई

कार्रवाई नहीं की जाती है, नष्ट नुकसान खंड लागू किया जाएगा।

- ग. एजेंसी द्वारा तैनात मानवशक्ति की ओर से किसी भी कदाचार / दुर्व्यवहार को गंभीरता से देखा जाएगा।
- 36. निदेशक, भा.कृ.अनु.प.—केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, लखनऊ के पास निविदा को बिना कोई कारण बताए किसी एक या सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा। निदेशक, भा.कृ.अनु.प.—केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, लखनऊ का निर्णय अंतिम होगा तथा ठेका के तहत आने वाले किसी भी खंड के संबंध में ठेकेदार / एजेंसी पर बाध्यकारी होगा।
- 37. किसी भी प्रकार का न्यायिक विवाद केवल लखनऊ न्यायालय में ही मान्य होगा किसी भी अन्य जिलों में दायर मामले मान्य नहीं होंगें ।

संस्थान के निदेशक के पास पूर्ण अधिकार सुरक्षित होगा कि वे किसी भी निविदा को आंशिक अथवा पूर्ण रुप से बिना किसी भी कारण को दर्शाये हुए निरस्त कर सकते हैं। संस्थान के निदेशक का निर्णय अंतिम माना जावेगा तथा वह सभी निविदा दाताओं को मान्य होगा।

सहायक प्रशासनिक अधिकारी

वित्तीय बोली

(रहमानखेड़ा और रायबरेली रोड परिसरों एवं के.उ.बा.सं.— आर.आर.एस. माल्दा (पश्चिम बंगाल) के लिए अलग—अलग लिफाफों में वित्तीय बोली संलग्न करें)

बोली प्राप्त करने की अंतिम तिथि : 24.04.2017 अपराहन 4:00 बजे तक तकनीकी बोली खुलने की तिथि 25.04.2017 पूर्वाहन 11:00 बजे सेवा में

निदेशक भा.कृ.अनु.प.—केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, रहमानखेड़ा, पोस्ट काकोरी, लखनऊ — 226 101 (उत्तर प्रदेश)

श्रीमान

मैं / हम केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान के रहमानखेड़ा और रायबरेली रोड परिसरों तथा सी.आई.एस.एच.—आर.आर.एस. माल्दा में किये जाने वाले मिसलेनियस आऊटर्सोसिंग कार्य

संबंधी निविदा कार्य—सेवा से सम्बंधित संविदा के लिए निर्धारित दर पर आवेदन प्रस्तुत करता हँ—

अ- निष्पादित किये जाने वाले अति कुशल / कुशल कार्यो का विवरण ।

Sl. No.	Description	Category of workers			No. of Workers	No.	Rate (in Rs)	Amount (in Rs.)	
		Highly Skilled	Skilled	Semi Skilled	Un- Skilled				
1.	Basic Pay								
2.	ESI (%)								
3.	EPF (%)								
4.	Sub-Total (1-3)								
5.	Other Statutory Liabilities								
6.	Service Charges on (4)								
7.	Total (4+5)								
8.	Service Tax as applicable (%)								
9.	Grand Total (6+7) Total								

- 1— कम्प्यूटर आपरेशन / टंकर एवं अन्य कार्यालय सहायता सेवायें ।
 - (i) अनुभागों / प्रभागों का आवश्यकतानुसार हिन्दी / अंग्रेजी कम्प्यूटर टाइपिंग का कार्य।
 - (ii) डाटा बेस तैयार करना एवं उस पर कार्य करना ।
 - (iii) विभिन्न सूचनाओं को कम्प्यूटर में प्रविष्टि करना प्रसंस्करण करना ।
 - (iv) विभिन्न प्रकार के अग्रिमों जैसे जी०पी०एफ०, चिकित्सा, यात्रा रियायत, यात्रा भत्ता, वेतन बिलों आदि के प्रसंस्करण में सहायता प्रदान करना ।

- (v) रेट कान्ट्रेक्ट सम्बन्धी रसायन, ग्लासवेयर की खरीद तथा उपकरण की खरीद में सहायता करना। खर्चे का विवरण तैयार करना एवं स्टाफ के अवकाश सम्बन्धी मामले देखना।
- 2. स्वागत कक्ष सेवायें: कम्प्यूटर पर प्रतिदिन आने वाले अतिथियों की प्रविष्टि करना तथा अति विशिष्ट अतिथियों का स्वागत अथवा अन्य कार्य जो कि नोडल अधिकारी / नामित अधिकारी द्वारा समय समय पर दिया जायेगा ।
- 3. कार/मिनी बस/बस/ट्रक/ट्रेक्टर आदि चलाने सम्बन्धी सुविधायें अथवा अन्य कार्य जो कि नोडल अधिकारी/नामित अधिकारी द्वारा समय समय पर दिया जायेगा (वाहन चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस हाना चाहिए)।

4. प्रयोगशाला तकनीशियन सम्बन्धी सेवायें:

- (i) शोध कार्यो में वैज्ञानिकों कों तकनीकि सहायता प्रदान करना तथा प्रयोगशाला सम्बन्धी समय—समय पर आवंटित व्यवहारिक कार्य करना ।
- (ii) दिन प्रतिदिन के ग्लासवेयर एवं प्लास्टिकवेयर को धुलने उन्हें बिसंक्रमण करना तथा प्रयोगशाला टेबल आदि की सफाई करना ।
- (iii) शोध सम्बन्धी पौधों की देखभाल एवं सम्भालने सम्बन्धी कार्य तथा आवश्यकता के अनुसार अन्य शोध एवं अध्यापन सम्बन्धी कार्य ।
- (iv) वैज्ञानिकों को व्यवहारिक,प्रयोगशाला की सफाई, नमूने को एकत्र करने, ग्लासवेयर के बिसंक्रमण, उपकरणों की देखभाल, रसायन की माप एवं अन्य समस्त कार्य जो कि वैज्ञानिकों, नोडल अधिकारी अथवा नामित अधिकारी द्वारा समय—समय पर आवंटित कार्य ।
- 5. फील्ड गणक / डाटा इंट्री आपरेटर / डाटा कलेक्टर सम्बन्धी सेवायें : किसानों के पास विजिट कर सेर्वे, डाटा कलेक्शन कार्य, डाटा इंट्री एवं डाक्यूमेंटेंशन सम्बन्धी कार्य ।
- इलैक्ट्रीशियन / रेफ्रेजिरेशन / मेसनरी / प्लम्बरिंग सेवायें:

अभियांत्रिकी अनुभाग से समन्वय रखते हुए रहमान खेडा एवं आर0बी0रोड कैम्पस पर प्राप्त शिकायतों के आधार पर मरम्मत एवं रखरखाव सम्बन्धी कार्य एवं उसमें सहायता प्रदान करना एवं इस प्रकृति के अन्य कार्य तथा नोडल अधिकारी अथवा नामित अधिकारी द्वारा समय—समय पर आवंटित कार्य।

इलैक्ट्रीशियन – प्रति दिन की दर पर

रेफ्रेजिरेशन – आवश्यकता के अनुसार

मेसनरी – आवश्यकता के अनुसार

लम्बरिंग – आवश्यकता के अनुसार

7- जी.सेट सेवायें (जनरेटर आपरेटर)

24 घंटे जनरेटर सेवा प्रदान करने हेतु 250,125,62 के.वी.ए. का डी.जी.सेट सी. आई.एस.एच.,रहमानखेडा एवं क्षेत्रीय शोध केन्द्र, माल्दा (वेस्ट बंगाल) में चलाने का कार्य ।

- 1- विद्युत सेवा फेल होने के एक मिनट के अन्दर जनरेटर चलाना ।
- 2— अनुभवी जनरेटर आपरेटर की सेवा उपलब्ध कराना जो कि पी.टी. पम्प एवं फ्यूल लाइनसे हवा

रिलीज कर सके ।

- 3. बैट्री एवं रेडियेटर में डिस्टिल्ड वाटर चैक करना, टैंकी में आयल, डीजल नियमित रुप से चैक करने का कार्य दी जाने वाली सेवाओं में सम्मिलत होगा ।
- बैट्री टर्मिनल की नियमित रुप से सफाई करना ।
- 5— पी.ओ.एल. एवं अन्य पार्ट जो आवश्यक होगा विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जावेगा ।

- 6— यदि ठेकेदार द्वारा कराये जा रहे कार्य के दौरान जनरेटर का आपरेशन गलत ढंग से करने पर जो नुकसान हागा उसे ठेकेदार द्वारा स्वयं ठीक कराना होगा अथवा बदलना होगा ।
- 7. जनरेटर रुम में किसी भी प्रकार की पी.ओ.एल. की चोरी अथवा सामान की चोरी का पूर्ण उत्तरदायित्व ठेकेदार का होगा ।

ब- निष्पादित किये जाने वाले अर्ध कुशल/अकुशल कार्यो का विवरण ।

- 1. तकनीकि सहायक सम्बन्धी सेवायें ।
 - (i) तकनीशियनों को कार्य में सहयोग / सहायता प्रदान करना एवं नोडल अधिकारी अथवा नामित अधिकारी द्वारा समय—समय पर आवंटित कार्य ।
 - (ii) अनुभागों में पत्रावलियों का रख रखाव एवं उन्हें व्यवस्थित रुप से सम्भालना ।
 - (iii) पत्रों / परिपत्रों की फोटो कापी करना एवं आवश्यकतानुसार उनका सैट तैयार करना ।
 - (iv) वरिष्ठ अधिकारियों / अनुभागों में स्टाफ के लिये चाय / पानी आदि लाना ।
 - (v) संस्थान के केन्द्रीय भण्डार अथवा अन्य स्थान जो भी नोडल अधिकारी द्वारा बताया जाये वहाँ से अनुभाग के लिये स्टेशनरी अथवा अन्य सामान लाना ।
 - (vi) उपरोक्त सेवाये प्रति दिन सोमवार से शनिवार तक जिसमें द्वितीय शनिवार शामिल नहीं है प्रातः 9.30 बजे से 4.30 बजे तक देना होगा । कभी आकस्मिकता को देखते हुए रविवार अथवा कार्य अवधि के उपरान्त अथवा अवकाश के दिनों में भी सेवायें ली जा सकती हैं ।
 - (vii) नोडल अधिकारी / नामित अधिकारी द्वारा सफाई एवं रख रखाव सम्बन्धी कार्य की प्रकृति आवंटित की जावेगी ।

2.. गैस्ट आउस अटैन्डेन्ट सम्बन्धी सेवार्ये ।

प्रतिदिन कमरे, फर्नीचर, कारपेट, एवं अन्य वस्तुओं का रख रखाव एवं सफाई कार्य एवं इस प्रकृति के अन्य कार्य जो नोडल अधिकारी अथवा नामित अधिकारी द्वारा समय—समय पर आवंटित किये जावें।

3. श्रमिक सेवायें

- (i) आवश्यकतानुसार अनुभागों से सम्बन्धित शारीरिक श्रम सम्बन्धी कार्य ।
- (ii) आदेश में दिये गये समस्त सफाई एवं रख रखाव सम्बन्धी कार्य सम्पादित करना ।
- (iii) समय समय पर दिये जाने वाले समस्त सामान्य कार्य ।
- (iv) श्रिमकों द्वारा समय समय पर शोध सेड में समस्त अधीनस्थ कार्यो का सम्पादन एवं रख रखाव तथा अनुभागों प्रभागो में सफाई सम्बन्धी कार्य अथवा नोडल अधिकारी अथवा नामित अधिकारी द्वारा समय—समय पर आवंटित कार्य ।

4. लैब अटेंडेंट सम्बन्धी सेवायें

वैज्ञानिकों को दिन प्रतिदिन के शोध कार्यों को सुचारु रुप से सम्पादित करने में सहायता प्रदान करना तथा अन्य कार्य जो कि नोडल अधिकारी अथवा नामित अधिकारी द्वारा समय—समय पर आवंटित किया जावेगा।

मैं / हम सहमत हैं कि यदि निविदा प्रपत्र में दिए हुए निबंधन एवं शर्तों को पूरी तरह या आंशिक रूप से पूरा नहीं करता / करते हैं तो बयाना जब्त कर लिया जाये। मैंने / हमने निबंधन एवं शर्तों को सावधानीपूर्वक पढ़ लिया है तथा उनसे अक्षरशः सहमत हैं।

हस्ताक्षर नाम तथा फर्म का पता

फोन/ मोबाइल न.

(फर्म / एजेन्सी / कम्पनी के लेटर हेड पर दिया जाये)

प्रेषक					
निविदाकर्ता का पूरा नाम एवं पता पोस्ट बाक्स नं0 के अतिरिक्त (यदि हो तो कार्यालय द्वारा पत्राचार करने हेतु) : टेलीफोन नं0 : टेलीग्राफिक पता / फैक्स / सेलुलर नं0: ई—मेल पता:					
सेवा में निदेशक, आई.सी.ए.आर.—सी.आई.एस.एच., रहमानखेड़ा, पो.आ. काकोरी, लखनऊ — 226 101					
विषय:— कार्य—किसी भी अंसवैधानिक गतिविधियों में सिम्मलित न	न होने सम्बन्धी घोषणा पत्र।				
मैं / हम यह घोषणा करते है कि मेरी फर्म मेसर्स गतिविधि में सम्मिलित नहीं है, तथा न ही कोई वित्तीय गड़ब	किसी भी प्रकार की अंसवैधानिक				
पी लगा है और न ही विचाराधीन है तथा कोई भी न्यायिक विव	ग्राद भी विचाराधीन नहीं है।				
	हस्ताक्षरअधिकृत सिगनेटरी / सिगनेटरीस (फर्म की सील)				

संलग्नक III

तकनीकी बोली

निम्नलिखित दस्जावेजो को मोहरबन्द लिफाफे में तकनीकी बोली के साथ अनुलग्न किए जाने की आवश्यकता है।

- फर्म का पंजीकरण उत्तर प्रदेश सरकार/भारत सरकार कार्य ठेका के अन्तर्गत होना चाहिए।
- 2. विगत वित्तीय वर्ष के दौरान कुल आवर्त (कुल बिक्री) 40 लाख रूपए से कम की नहीं होनी चाहिए।
- 3. विगत तीन वर्षो का फर्म का अनुभव संबंधित सेवाओ मे भारत सरकार के संगठनो /भारत सरकार के स्वायत्त सेवाओ / प्रतिष्ठित सरकारी एवं निजी संस्थाओ की होनी चाहिए जिनका ब्योरा टैब्युल रूप से अनुलग्न होना चाहिए।
- 4. फर्म द्वारा दी गई सेवाओ का वर्षे 2014–15 तथा 2015–16 की प्रमाणित तुलना पत्र चार्टर्ड अकाउन्टेंट द्वारा प्रमाणित होना होना अनिवार्य है।
- 5. विगत तीन वर्षो के दौरान राज्य सरकार / भारत सरकार के संगठनो में जहाँ निविदाकार ने संतोषजनक सेवांए दी है की प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध करना अनिवार्य है।
- 6. स्थानीय सरकार द्वारा जारी की गई नियोक्ता ई.पी.एफ. पंजीकरण प्रमाण पत्र।
- 7. स्थानीय सरकार द्वारा जारी की गई नियोक्ता ई.एस.आई. पंजीकरण प्रमाण पत्र।
- 8. ई.एस.आई एवं ई.पी.एफ. के अन्तर्गत अलग–अलग पंजीकृत लेबरो / श्रमिको की संख्या।
- 9. एजेन्सी का सेवाकर विभागों में अनिवार्य रूप से पंजीकरण होना अनिवार्य है। (पंजीकरण संलग्न करें।
- 10. निविदाकार द्वारा रु० 10/— के नान जुडीशियल स्टैम्प पेपर पर घोषित किया जाना आवश्यक है कि क्या फर्म के विरूद्ध पी.एफ./ई.एस.आई. के उल्लंघन से संबंधी कोई कानूनी/आपराधिक मामला विचारार्थ है। फर्म/एजेन्सी को प्रमाण पत्र अनुलग्न करना होगा कि एजेन्सी के विरूद्ध कोई भी आपराधिक मामला लंबित नही है।
